

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017—भाद्र 10, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. ई.-1-280-2017-5-एक.—श्री उमेश कुमार, भाप्रसे (2009), संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को
अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई.-1-284-2017-5-एक.—श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला,
भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, मध्य
प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल पदस्थ
किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. एफ-1-(ए)-154-93-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, छ: दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 30 जुलाई एवं 6-7 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश काल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. एफ-1(बी)108-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ गेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	01	श्री रोबिन जैन, द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, सर्फ राजेन्द्र रोड, मेहगांव, थाना मेहगांव, जिला भिण्ड म. प्र. 477557.	अनूपपुर	

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्त आदेश नियस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्तति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्तति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रदे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत नियरकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एक वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविस्तियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. एफ-1(ए)119-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जबलपुर को 2 से 11 अगस्त 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत कन्याकुमारी (तमिलनाडू) भ्रमण पर जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. का कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी 6वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जबलपुर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-(ए)-148-95-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8-9, 15 एवं 16 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश काल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ 1 (बी)-159-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 96-81-2016-चयन, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 06 (अनुक्रमांक 345822) श्री अनुराग जैन, (अनारक्षित-वर्ग) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 6 जुलाई 2017 में यह लेख किया है कि उनका मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2015 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन हो जाने के कारण वे राज्य सेवा परीक्षा-2014 में उप पुलिस अधीक्षक की सेवा में नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं अतः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनका चयन निरस्त किया जाये। वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी रहेंगे तथा भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा पेश नहीं करेंगे।

(2) अतः; राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के सरल क्रमांक-06 (अनुक्रमांक-345822) में उल्लेखित श्री अनुराग जैन, (अनारक्षित वर्ग) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

क्र. एफ-1(बी)159-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये 15600—39100+गोड पे 5400/- में उप

पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता हैः—

स.क्र.	लोक सेवा आयोग	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	34	श्री उदयभान बागरी, पिता श्री उत्तम प्रसाद, निवासी ग्राम-भटहर मेघा, पोस्ट-श्यामरडॉला, थाना देवेन्नगर, जिला पन्ना म. प्र. 488333.	छतरपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विवित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रदे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रवधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदाम्पति, अवर सचिव,

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. एफ-1-98-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री पवन जैन, भाषुप्ते, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को भारतीय उच्चायोग और (आई.सी.सी.आर.) के सहयोग से दिनांक 23 अगस्त से 3 सितम्बर 2017 तक लंदन (ब्रिटेन) के दस अलग-अलग शहरों में आयोजित हिन्दी कवि

सम्मेलन में भाग लेने हेतु दिनांक 21 अगस्त से 15 सितम्बर 2017 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 अगस्त व 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश यात्रा के दौरान भारतीय उच्चायोग और (आई.सी.सी.आर.) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री पवन जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विपिन माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबन्ध)

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तुतित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर युनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पवन जैन, भापुसे. के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयं व अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पवन जैन, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(बी)-108-16-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 55-28-2016-चयन, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम (6) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है :—

स. क्र.	मैरिट क्र./अनुक्रमांक	नाम	सीट	त्रेणी	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	02/337238	सुश्री ड्रीमी अग्रवाल	UNRF	GEN	समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 7-1-2017 के अनुपालन में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण।
2.	04/201828	सुश्री श्रीलेखा श्रोत्रिय	UNRF	GEN	उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की दि. 29-1-2017 को लिखित सूचना के आधार पर।
3.	26/284644	सुश्री श्वेता जमरा	STF	ST	संभागीय चिकित्सा मंडल, सागर के स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 1-10-2016 एवं राज्य स्तरीय चिकित्सा मंडल, भोपाल के स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19-6-2017 में इनकी ऊचाई निर्धारित मापदण्ड 155 से. मी. से कम होने के कारण भर्ती नियमों के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाना संभव न होने के कारण।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	28/286682	सुश्री कामनी ठाकुर	ST	ST	समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 7-1-2017 को निरस्त करते हुए उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की दिनांक 21-3-2017 को लिखित सूचना के आधार पर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

फा क्र. 3503-इक्कीस-ब(दो), 2017.—इस विभाग के आदेश क्र. फाइल 17 (ई) 59-2002-इक्कीस-ब (एक) 06, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2006 के द्वारा राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के अनुसार परामर्शदाता के पद पर नियुक्त की गई थी।

राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के परन्तुक में परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है :—

क्रमांक	स्थान	नाम
(1)	(2)	(3)
1.	भोपाल	श्रीमती रंजना अग्रवाल, परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल

फा क्र. 3503-इक्कीस-ब(दो), 2017.—इस विभाग के आदेश क्र. फाइल 17 (ई) 95-2002-इक्कीस-ब (I) 08, भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2008 के द्वारा राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के अनुसार परामर्शदाता के पद पर नियुक्त की गई थी।

राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के परन्तुक में परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है :—

क्रमांक	स्थान	नाम
(1)	(2)	(3)
1	इंदौर	श्री जगजीत शर्मा, परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3168-2017.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47, 53, 67- ए, 68, 86, 87, 93 एवं 104-बी तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

सं. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"47.	इंदौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7, विद्युत् अधिनियम के अधीन, इंदौर.	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7, विद्युत् अधिनियम के अधीन, इंदौर.
53.	झाबुआ	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.	श्री ए. एस. अलवा, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
67-ए.	जावद नीमच.	अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.
68.	पन्ना	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.	श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.
86.	सीहोर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर.	श्री नवीन कुमार शर्मा, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश सीहोर.
87.	आष्टा सीहोर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, आष्टा.	कु. सरिता वाधवानी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश आष्टा.
93.	शाजापुर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.
104-बी.	बड़नगर उज्जैन.	अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर.	श्री एस. के. जोशी, अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3168-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 47, 53, 67-A, 68, 86, 87, 93 And 104-B and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"47.	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 7, under Electricity Act, Indore.	Shri Raghvendra Singh Chouhan, Additional Sessions Judge, Special Court No. 7 under Electricity Act, Indore.
53.	Jhabua	II nd Additional Sessions Judge, Jhabua.	Shri A. S. Alwa, II nd Additional Sessions Judge, Jhabua.

(1)	(2)	(3)	(4)
67-A.	Jawad Neemuch.	Additional Sessions Judge, Jawad.	Shri Raghuvir Prasad Patel, Additional Sessions Judge, Jawad.
68.	Panna	1 st Additional Sessions Judge, Panna.	Shri Anurag Dwivedi, I st Additional Sessions Judge, Panna.
86.	Sehore	II nd Additional Sessions Judge, Sehore.	Shri Naveen Kumar Sharma, II nd Additional Sessions Judge, Sehore.
87.	Ashta Sehore.	I st Additional Sessions Judge, Ashta.	Ku. Sarita Wadhwan, I st Additional Sessions Judge, Ashta.
93.	Shajapur	II nd Additional Sessions Judge, Shajapur.	Shri Yogendra Kumar Tyagi, II nd Additional Sessions Judge, Shajapur.
104-B	Badnagar Ujjain.	Additional Sessions Judge, Badnagar.	Shri S. K. Joshi, Additional Sessions Judge, Badnagar."

फा. क्र. 17 (ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3168-017.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना में, सारणी में—

अनुक्रमांक 53, 66, 67, 68, 86 एवं 87 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"53.	झाबुआ	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
66.	नीमच	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच.	सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 एवं 67-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
67.	मनासा नीमच.	अपर सेशन न्यायाधीश, मनासा	मनासा का विद्युत् क्षेत्र
68.	पन्ना	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना	सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर).
86.	सीहोर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर.	सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 एवं 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
87.	आष्टा सीहोर.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, आष्टा.	आष्टा का विद्युत् क्षेत्र.”
(2) अनुक्रमांक 67 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—			
67-ए.	जावद नीमच	अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.	जावद का विद्युत् क्षेत्र”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3168-017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table,—

- (1) for serial numbers 53,66, 67, 68, 86 and 87, and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“53.	Jhabua	II nd Additional Sessions Judge, Jhabua.	All electricity area of Civil District Jhabua, Petlawad and Thandla.
66.	Neemuch	I st Additional Sessions Judge, Neemuch.	All electricity area of Civil District Neemuch (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 67 & 67-A).
67.	Manasa Neemuch.	Additional Sessions Judge, Manasa.	Electricity area of Manasa
68.	Panna	I st Additional Sessions Judge, Panna.	All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 69).
86.	Sehore	II nd Additional Sessions Judge, Sehore.	All electricity area of Civil District Sehore (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 87 & 88).
87.	Ashta Sehore.	I st Additional Sessions Judge, Ashta.	Electricity area of Ashta.”

- (2) after serial number 67 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

67-A.	Jawad Neemuch.	Additional Sessions, Judge, Jawad.	Electricity area of Jawad.
-------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------

फा. क्र. 1-6-89-इकीस-ब-(एक)-3165-2017.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इकीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 12, 14, तथा 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम		विशेष न्यायालय	
(1)	(2)	(3)	(4)
“2. श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन		उज्जैन	उज्जैन
12. श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना		पन्ना	पन्ना
14. श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद		होशंगाबाद	होशंगाबाद
52. श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर		अशोकनगर	अशोकनगर”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No 1-6-89-XXI-B(1)-3165-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule,

for serial numbers 2, 12, 14, and 52 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	Shri Alok Kumar Mishra, IXth Additional Sessions Judge, Ujjain	Ujjain	Ujjain
12.	Shri Amitabh Mishra, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Panna.	Panna	Panna
14.	Shri Upendra Sonkar, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.	Hoshangabad	Hoshangabad
52.	Shri Virendra Patidar, Sessions Judge, Ashoknagar Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar.”

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सरसेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

फा. क्र. 3551-इक्कीस-ब (दो) 2017.—राज्य शासन, एतद्वारा, नोटरी अधिनियम, 1952 (सन् 1952 का सं. 53) की धारा 10 के खण्ड (क) एवं खण्ड (च) के अंतर्गत आधारों पर श्री शरद कुमार जैन, नोटरी, जबलपुर का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संधारित, नोटरी पंजी से हटाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्र. एफ 31-15-2017-सत्ताईस-एक.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999, (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कॉलम (3) तथा कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इंदिगा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा का द्वितीय चरण.	02	663	01

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. एफ 15-5-2017-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएः—

अनुसूची

तहसील: शाहगढ़

क्र.

पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम

(1)

01

(2)

1. मूल ग्राम नरवां
2. नवीन ग्राम रिछाई, प.ह.न. 11

जिला : सागर

अधिकार—अभिलेख तैयार करने के लिए

प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक, भू—अभिलेख,
(नियमित) जिला—सागर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. एफ 15-5-2017-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-5-2017-सात-शाखा-6 दिनांक 21 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 21st August 2017

No. F-15-05-2017-VII-Sec.-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tehsil : Shahghar

District : Sagar

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(1)	(2)	(3)
01.	01. Original Village Narwana 02. New Village Richai P. C. No. 11.	Superintendent of Land Records, (regular) District Sagar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2017

क्र. एफ 10-11-2012-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा प्रदेश के परम्परागत एवं वंशानुगत मछुआरों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने, पुराने कार्यक्रम में परिवर्तन करने तथा संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देने के लिये मध्यप्रदेश मछुआ

कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 28 फरवरी 2017 से किया जाता है।

2. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :—

- | | |
|---|--------------|
| 1. अध्यक्ष (अशासकीय) | — एक पद |
| 2. उपाध्यक्ष (अशासकीय) | — दो पद |
| 3. सदस्य (अशासकीय) | — पांच पद |
| 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा। | — सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा। | — सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा। | — सदस्य |
| 7. संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश | — सदस्य-सचिव |
| 8. मछुआ कल्याण बोर्ड, आवश्यकतानुसार अन्य संबंधितों/विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा। | |

3. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के गठन के उद्देश्य, स्वरूप, सुझाव हेतु निर्धारित विषय, कार्यपद्धति एवं अधिकार परिशिष्ट-एक अनुसार एवं कार्यालय का सेटअप परिशिष्ट-दो अनुसार रहेंगे।

4. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के कार्यालय के लिये संलग्न परिशिष्ट-दो में दर्शाएं, अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 18 पदों की आवश्यकता होगी। इन पदों में से आठ पदों (क्र. 1 से लगायत 06 तक) को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर उपलब्धतानुसार एवं शेष 10 पदों (क्र. 07 से लगायत 10 तक) को आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट क्र. एक

मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का उद्देश्य, स्वरूप एवं कार्यपद्धति

1. मछुआ कल्याण बोर्ड निम्न विषयों पर सुझाव देगा.—

- 1.1 परम्परागत मछुआरों को मत्स्य पालन में प्राथमिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु सुझाव
- 1.2 बंद ऋतु तथा मत्स्याखेट प्रतिबंधित क्षेत्र में मत्स्याखेट प्रतिबंध प्रभावी रखने में मछुआरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सुझाव।
- 1.3 मछुआ कल्याणकारी योजनाओं हेतु मत्स्योद्योग विभाग तथा मत्स्य महासंघ को अनुशंसाएं।
- 1.4 सिंधाड़ा अनुसन्धान उत्पादन तथा विपणन के विकास तथा सुधार के लिये सुझाव।
- 1.5 कमल गट्ठा तथा उससे उत्पादित मखाना के बेहतर विपणन के लिये सुझाव।
- 1.6 नदी किनारों की रेत में तरबूज-खरबूज उत्पादन हेतु मछुओं को प्राथमिकता देने की नीति बनाने के लिये सुझाव।
- 1.7 सुखान मछली के आखेट तथा विपणन की नीति पर सुझाव।
- 1.8 अक्रियाशील मछुआरों के चिन्हांकन हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं/निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये सुझाव।

- 1.9 नौका/तैराकी के लिये बच्चों को प्रशिक्षण संबंधी सुझाव
- 1.10 नौका घाटों पर नौका संचालन नीति पर सुझाव
- 1.11 मछुआरों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु सुझाव
- 1.12 मछुआरों के कल्याण एवं समग्र विकास से संबंधित अन्य बिन्दु
2. मछुआ कल्याण बोर्ड की कार्यपद्धति एवं अधिकार,
- 2.1 मछुआ कल्याण बोर्ड अपनी कार्य प्रक्रिया विधिक रूप से स्वयं विकसित/निर्धारित करेगा, मछुआ कल्याण बोर्ड अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक अभिलेख/जानकारी बुला सकेगा, शासन के समस्त विभाग मछुआ कल्याण बोर्ड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध कराएंगे तथा मछुआ कल्याण बोर्ड के चाहने पर उन्हें आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे।
- 2.2 राज्य शासन द्वारा चाहे जाने पर संदर्भित मुद्दों/विषयों पर मछुआ कल्याण बोर्ड अपने सुझाव/सलाह राज्य शासन को प्रदान करेगा।
3. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का पृथक् स्वतंत्र कार्यालय होगा।
4. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में रहेगा परन्तु वह प्रदेश में कहाँ भी बैठक रखने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. विभागाध्यक्ष, संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश होंगे, जो मछुआ कल्याण बोर्ड के बजट नियंत्रण अधिकारी भी होंगे।
6. बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु वेतन एवं सुविधाएं वित्त विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार देय होंगी।

परिशिष्ट-दो

मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण के अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान (4)	रिमार्क (5)
1	सचिव	01	15600—39100+ग्रेड पे 6600	प्रतिनियुक्ति/संविदा से
2	तकनीकी अधिकारी	01	9300—34800+ग्रेड पे 3600	प्रतिनियुक्ति/संविदा से
3	अनुभाग अधिकारी	01	9300—34800+ग्रेड पे 3600	प्रतिनियुक्ति/संविदा से
4	वरिष्ठ निज सहायक	01	9300—34800+ग्रेड पे 3600	प्रतिनियुक्ति/संविदा से
5	निज सहायक	02	9300—34800+ग्रेड पे 3600	प्रतिनियुक्ति/संविदा से
6	शीघ्रलेखक	02	5200—20200+ग्रेड पे 2800	प्रतिनियुक्ति/संविदा से
7	कम्प्यूटर आपरेटर	03	5200—20200+ग्रेड पे 1900	आउटसोर्स से
8	सहायक वर्ग तीन	01	5200—20200+ग्रेड पे 1900	आउटसोर्स से
9	भृत्य	04	4440—7440+ग्रेड पे 1300	आउटसोर्स से
10	चौकीदार	02	4440—7440+ग्रेड पे 1300	आउटसोर्स से
योग . .		18		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ-1-4-17-रा.स.-यू.ए. 1-1071.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1. प्रो. आर. सी. कुहाद, कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़, हरियाणा—123031.	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.
2. प्रो. एच. देवराज, (पूर्व उपाध्यक्ष, यू. जी. सी.), चेन्नई—600020	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3. प्रो. स्वतंत्र शर्मा, (पूर्व कुलपति, महाराजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय), इलाहाबाद—211002.	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. आर. सी. कुहाद, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।		
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।		

कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
डॉ. एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अगस्त 2017

रा. प्र. क्रमांक-09-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.—

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति”(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से ढूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से ढूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची—

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम—मोहगांव, प0ह0न0—41, ब0न0—490, रा0नि0म0— छिन्दवाड़ा—1,	मोहरवती पति सायमन निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2. महताप पिता हरवंश गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3. सुमेरचंद पिता बरकन गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	977/1 416/2 243 शासकीय भूमि	0.037 0.320 कच्चा मकान—01	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से ढूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग			0.357 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक-09-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.—

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से ढूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से ढूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-सिहोरामढ़का प0ह0न0-38, ब0न0-576, रा0न0म0 -छिन्दवाड़ा-1	श्री शकीलसिंह पिता तामसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	796/3 796/4	0.496 0.496	पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से ढूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग			0.992 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बन्ध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्गालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 8110-भू-अर्जन-2017.—

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एपीएस/31/1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जटलापुर प0ह0न-52, ब.न.-183, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1,	शासकीय भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	शासकीय भूमि पर स्थित मकानों भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं M0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (M0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिटटी बांध उपसभाग क्रमांक 1 सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रत्लाम, दिनांक 18 अगस्त 2017

प्रकरण क्रमांक 6-भू.अ.-724.—

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की सहमति से भूमि क्य नीति 2014)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आम्बापाड़ा तालाब तहसील सैलाना जिला रत्लाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्य किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधारसहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम आम्बापाड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 14 —

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	नाकु पिता पुंजा जाति भील नागजी हवजी सत्तु हुकमा	905	0.12	—	0.12	
2	सीमा पुंजी पिता कानजी जमना बेवा कानजी जाति भील	906	0.34	—	0.34	कम्बा कुआ
3	राणाप्रताप, दिपक, ममता, अनीता पिता बापुसिंह सुरता बेवा बापुसिंह	932	0.23	—	0.23	
4	चमना पिता मल्या जाति भील	933	0.23	—	0.23	
5	राजेश रामा मोहन पिता पुना मोहन चम्पा पिता पुना जमना बेवा पुना	934	0.23	—	0.23	
6	रामल्या पिता मल्या भील	935	0.20	—	0.20	

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
7	नाकोड़ा पिता कालु	938	0.43	—	0.43	कच्चा कुआ
8	नाकोड़ा पिता कालु	939	0.80	—	0.80	
9	नागजी पिता कमजी भील	941	0.71	—	0.71	कच्चा कुआ
10	खातु रामसिंह वरसिंह मान्या हरिया शांतु पिता पुनिया रंगली बेवा पुनिया हिस्सा 1/2 रकमा पिता दिपला निर्मल सोहन पिंकु बा. कैलाश गुड्डु चम्पा नाबालिंग पिता कानजी नाबालिंग स. माता भुली रामलाल जोदिया पिता रूपाजी भील (स्वयं निर्मल)	942	1.16	—	1.16	
11	हिरा पिता दल्ला भील	943	0.26	—	0.26	
12	जीवणा पिता रामा भील	946	0.12	—	0.12	
13	नागजी पिता पुन्या भील	947/1	0.44	—	0.44	
14	मकना प्रभु मोती ईश्वर मनोहर पिता कानजी हुमली बेवा कानजी भील	947/2	0.43	—	0.43	
15	बाबू पिता पुनिया	947/3	0.45	—	0.45	
	नाकु जीवा जोखा, सूर्या धारू सिंह रंगु सिंह पिता हिरा वेसी					
16	रूपा पिता हिरा हुमली बेवा रूपा भील	949	1.62	—	1.62	
17	नाकु जीवा, जोखा, सूर्या, धारू सिंह रंगुन सिंह पिता हिरा वेसी रूपा पिता हिरा हुमली बेवा हिरा भील	950	0.64	—	0.64	
18	रकमा रामला लालजी पिता कचरिया भील	953	1.24	—	1.24	पका कुआ

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
19	रामा, लच्छु पिता कालिया रमेश बिटड़ा पिरु पिता हकरु लीला बेवा हकरु भील	964	—	0.06	0.06	
20	चमना पिता मल्या भील	968	0.21	—	0.21	
21	चमना पिता मल्या भील	975	0.25	—	0.25	
22	चमना पिता मल्या भील	974	0.20	—	0.20	
23	हुरजी पिता सकरिया भील	972	0.47	—	0.47	
24	नन्दु पिता उंकार शंकु बेवा उंकार भील	982	0.20	—	0.20	
25	वागजी पिता सरदारिया भील	978	0.30	—	0.30	कच्चा कुआ
26	दौलसिंह पिता मल्या भील	930	0.17	—	0.17	
27	गणेश मनिष पिता देवजी	967	0.22	—	0.22	कच्चा कुआ
	रूपजी रंगजी पिता गोत्या व इतरी बेवा गोत्या भील	976	0.50	—	0.50	मकान कच्चा 2
	गणेश	971	0.20	—	0.20	
	गणेश	979	0.16	—	0.16	
	गणेश	969	0.37	—	0.37	
28	चमना पिता मल्या भील	973	0.23	—	0.23	
	वरसिंह पिता मल्या भील	931	0.15	—	0.15	
<u>नहर</u>						
30	मांगु पिता राण्या रमतु पति मांगु	350	0.04	—	0.04	
31	मोती पिता नान्या भील	351	0.07	—	0.07	
32	बाबुसिंह पिता संकरिया	352 / 1	0.05	—	0.05	
33	मोती पिता नान्या भील	353	0.05	—	0.05	
34	गोतम रकमा पिता भेरिया भील करमा बेवा भेरिया भील	354	0.07	—	0.07	
35	लालु पिता पुना भील	364	0.07	—	0.07	
36	धारजी पिता नगजी भील	372 / 1	0.08	—	0.08	

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	अर्जित की खाने वाली भूमि का रकमा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
37	मांगु, रमेश पिता हमीरा भुरी बेवा हमीरा	376	0.04	—	0.04	
38	गोतम पिता डालया भील	377	0.05	—	0.05	
39	देवला पिता जीवा	376	0.05	—	0.05	
40	झुंगरसिंह पिता लीमजी भील	385	0.18	—	0.18	
41	गणेश मनीष पिता देवजी हिरा बेवा देवजी व रूपजी रंगजी पिता गोतिया जाति भील	970	0.05	—	0.05	
	गणेश	971	0.08	—	0.08	
	गणेश	980	0.08	—	0.08	
42	माना पिता सकरिया भील	353 / 2	0.07	—	0.07	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुंदियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक / 16255 / भू-अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम खजूरिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

व्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील व्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ह.में
1	2	3
1	ग्राम खजूरिया (निजी भूमि)	9.189

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना' के अंतर्गत व्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील व्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
ग्राम खजूरिया				
1	रामनारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी	504/1/1	0.505	0.080
2	सुरेश पिता महेशप्रसाद दांगी	1409/1	0.531	0.060
		1410/2	1.025	0.026
3	हरिओम पिता महेश प्रसाद दांगी	1409/2	0.532	0.170
		1410/3	1.012	0.680
4	रामनारायण पिता देवचंद दांगी	505	0.645	0.350
		1408	0.582	0.060
5	विष्णु, जगदीश, रामबाबू पिता रंगलाल, कमला बाई बैवा रंगलाल दांगी	506/1	0.296	0.205
6	घीसा लाल पिता रामबगस दांगी	506/2	0.286	0.205
7	गंगा प्रसाद पिता देव्या दांगी	506/3	0.582	0.410
8	घीसा पिता भोना दांगी	509	1.416	0.101
9	राधेश्याम, गोपाल, जगदीश पिता शिवनारायण, रुपनाथ पिता गंगाधर, घनश्याम, बनवारी, विष्णु पिता हजारी, जसोदीबाई बैवा हजारी, काशी बैवा गंगाधर, अजुध्या पुत्री गंगाधर हि 50 पैसे, हीरा पिता गिरधारी हिस्सा 50 पैसे जाति सुतार	511	0.569	0.150
10	राधेश्याम, गोपाल, जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार	512	0.430	0.350
11	रामचन्द्र, हरिओम पिता सालगराम, नारानी बाई बैवा सालगराम जाति दांगी	513	1.316	0.660
		514	0.392	0.051
		1365/1	0.557	0.360

12	देवबगस, रामदयाल पिता शिव लाल जाति दांगी	515/1/1	0.793	0.525
13	रंगलाल पिता नारान जाति दांगी	515/1/2	0.794	0.360
14	चम्पालाल पिता हजारी लाल जाति दांगी	515/2/1	0.482	0.150
15	बद्री लाल पिता हजारी लाल दांगी	515/2/5	0.013	0.013
16	रामनारायण पिता रामबगस जाति दांगी	1497/1350/1	0.429	0.190
		1356	0.266	0.255
17	रामचरण फुन्दी लाल मदन लाल छबी लाल कन्हैया लाल पिता जगननाथ दांगी	1498/1350	0.341	0.080
18	मोहन पिता राधाकिशन दांगी	1345/1	0.557	0.067
19	रामचरण, शिवप्रसाद पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	1349	2.023	0.917
20	शिवलाल पिता राधाकिशन जाति दांगी	1351	0.607	0.163
21	शिवलाल पिता राधाकिशन, रोडी पुत्री राधा किशन जाति दांगी	1357	0.354	0.052
		1358	0.595	0.180
22	गोपाल पिता कालू दांगी	1355	0.557	0.070
		1393	0.202	0.100
23	रामभरोसे पिता कालू दांगी	1395/1	0.190	0.068
		1396/1	0.228	0.040
24	छीता राम पिता बापूलाल दांगी	1359/4/1	0.379	0.040
25	राधेश्याम रामप्रसाद मोहन पिता धूल्या	1360	1.593	0.190
		1361	0.304	0.220
26	रामरतन पिता गोपीलाल दांगी	1363	1.101	0.090
27	श्याम सुन्दर पिता जगन्नाथ दांगी	1364	1.189	0.430
28	मदन लाल पिता जगन्नाथ दांगी	1394	0.228	0.218
29	राधेश्याम पिता रामरतन दांगी	1410/1/2/1	0.516	0.003
		1411/1	0.854	0.550
30	लक्ष्मी नारायण पिता रामरतन दांगी	1411/2	0.220	0.150
		1412	0.837	0.150
कुल अर्जन राशि			16,324	9,139

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 16237 / भू-अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में व्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम पगारी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

व्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील व्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में
1	2	3
1	ग्राम पगारी (निजी भूमि)	11.102

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना' के अंतर्गत व्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील व्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
ग्राम- पगारी				
1	रतन पिता प्यारजी जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.	1/ 1	0.202	0.114
2	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.	1/2/ 1	0.338	0.046
3	रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	285/3	0.253	0.026
4	प्रभुलाल पिता राम लाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.	3/ 1	0.669	0.300
5	रंगलाल,मांगीलाल पिता सोबगस दांगी नि.ग्रा.भू.	3/2	0.838	0.300
6	गगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	285/4	0.253	0.124
7	रामबगस, कन्हैया, बद्री, कैलाश, मोहन,खेलकराम पिता गोपाल,हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	20	1.252	0.443

8	प्रभूलाल, बालाबक्ष, रुगनाथ, रामचरण पिता गंभीर, गंगाबाई, जानिबाई पुत्री गंभीर हि. 75 पै. हजारी शिवजी पिता गंगाराम हि 25 पै जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	21	3.832	0.366
9	मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी निवासी ग्रा.पगारा	18/2	0.253	0.020
10	मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी नि.पगारा	19/2	0.780	0.504
11	बैजनाथ पिता प्रभूलाल जाति दांगी पगारा	16/2	0.780	0.038
12	शिव जी पिता गिरधारी जाति दांगी पगारा	30/1/1/1	0.465	0.050
13	कालू पिता शिवजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	285/5	0.506	0.140
14	सजनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	40/2	0.646	0.013
15	रामचन्द्र, राधेश्याम पिता बंशीलाल, भगवतीबाई बैवा बंशीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.पगारा	30/1/2	0.310	0.137
16	रामबगस, कन्हैया, बद्दी, कैलाश, मोहन, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	30/1/3	0.620	0.107
17	देवचंद पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	30/2/1	0.443	0.100
18	मांगीलाल पिता नरसिंह जाति दांगी नि.पगारा भू.	30/2/2	0.481	0.100
19	बनेसिंह, शिवसिंह पिता सरदारसिंह, स्वरूपबाई पुत्री सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	40/3	0.645	0.050
20	बजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	39/2/1	1.012	0.764
21	मांगीलाल, मोहनलाल पिता काशीराम जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू.	39/1/1	1.265	0.379
22	देवी सिंह पिता मोड सिंह कंचनबाई बैवा मोडसिंह नि.ग्रा.भू.	40/4/1	0.260	0.150
23	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	173	0.506	0.103
24	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	176/1	0.696	0.018
25	शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/2	0.873	0.627
26	शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/1	0.202	0.034
27	शिवनारायण पिता मेहताब दांगी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/2/2	0.032	0.026
28	दरियाबबाई बैवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	161	0.190	0.048

29	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	160	0.240	0.190
30	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	159/3	0.126	0.126
31	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/3/2	0.158	0.158
32	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	157/2/3	0.062	0.019
33	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/3	0.860	0.116
34	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	157/3	0.155	0.040
35	दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	156/2/3	0.126	0.026
36	रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	18/1/1	0.061	0.010
37	देवचंद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	169/1/3/2	0.604	0.059
38	लक्ष्मी नारायण आ हजारी लाल दांगी पगारा	169/1/3/1/1/2	0.303	0.126
39	भंवर सिंह भगवान सिंह भगवत सिंह रूप सिंह धीरज सिंह रणीजीत सिंह मनोहर सिंह पिता नवल सिंह राजपूत	295/176	0.342	0.025
40	जालमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	176/2/2	0.202	0.014
41	रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	276	1.897	0.005
42	रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	287/1/2	0.506	0.063
43	गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद, सुगनबाई बैवा नंदराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	287/3/2	0.506	0.485
44	देवचंद पिता मांगीलाल दांगी	287/12/3/1	0.166	0.010
45	देवचंद पिता मांगीलाल दांगी	278/2/2	0.386	0.023
46	रतनलाल, बंशीलाल, छवीलाल, मोतीलाल, मोहन खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी	287/12/2	0.151	0.083
47	जगदीश सिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	287/3/1	2.023	0.273
48	धूलजी, कन्हेयालाल पिता मोजी लाल	287/12/1	0.150	0.126
49	खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	277/1	0.430	0.141

50	खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	278/1	0.689	0.229
51	शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	277/2	0.506	0.485
52	छबीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	169/2	1.733	0.661
53	बजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	169/3	1.138	0.557
54	रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	169/1/2	0.582	0.076
55	धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/1	1.062	0.191
56	रामनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	286/1	0.165	0.028
57	विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/2	1.062	0.191
58	गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	286/2	0.164	0.048
59	शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/3	1.050	0.189
60	शिव जी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	284/4	1.075	0.194
61	रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	154/3/4	0.054	0.016
62	लालजी पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/1	0.218	0.050
63	चन्द्रलाल,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	154/3/2	0.054	0.015
64	चन्द्रलाल,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/2	0.218	0.050
65	दौलतराम पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/3	0.219	0.050
66	रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	155/1/4	0.219	0.050
67	भंवर लाल आ हजारी लाल दांगी	287/9/1/1	0.202	0.117
68	रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	287/9/1/2	0.201	0.118
69	लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल दांगी	287/9/1/3	0.201	0.118
70	रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	19/1/1	0.729	0.034
71	लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	180/1/1	0.232	0.090
72	चंद्र लाल,रामनारायण,अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल नि.ग्रा.भू.	180/1/2	0.232	0.013
73	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	17	0.620	0.443

74	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	18/1/2	0.154	0.116
75	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	171	0.152	0.152
76	नवल सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.	172	0.266	0.266
	योगा-ग्राम पणारी	किता-76	39.193	11.102

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक / 16240 /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में व्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम धुरला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

व्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील व्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.मे.
1	2	3
1	धुरला (निजी भूमि)	8.470

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना” के अंतर्गत व्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील व्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5

ग्राम धुरला

1	गंगाराम पिता खीमा जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	2/4	2.290	0.696
2	रमेशचंद्र पिता राम चन्द्र जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	28/1/1	0.569	0.177
3	कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण	28/1/2	0.569	0.177
4	गोपाल पिता सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	28/2	0.361	0.141
5	आशुतोष प्रहलाद भविष्य पिता केदार दांगी ,भगवती बाई पति केदार जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	336	0.759	0.021
6	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्रा.भूस्वामी	29	1.505	0.427

7	शुभम पिता संतोष, मन्जू पति संतोष कुमार जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	39	0.696	0.329✓
8	भंवरी बाई पुत्री चंद्र लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	331	1.379	0.073✓
9	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	40	2.416	0.748✓
10	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	41	2.403	0.709✓
11	कैलाश नारायण, भंवरलाल नाराणबाई बैवा भंवरलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/1	0.282	0.028✓
12	शीलाबाई पति महेश जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/2	0.282	0.054✓
13	केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/3	0.281	0.200✓
14	केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/4	0.281	0.200✓
15	गंगाधर पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	38	1.126	0.339✓
16	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	37/2	0.089	0.019✓
17	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	231/4/2	1.163	0.098✓
18	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	231/6	0.126	0.025✓
19	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	318/2	0.329	0.021✓
20	सोरभ पिता ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	328/1	1.973	0.129✓
21	गौरव पिता अरविंद कुमार जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	328/2	1.973	0.025✓
22	अरविंद कुमार पिता द्वारकाप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	340/1/1	1.897	0.500✓
23	ओमप्रकाश पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	340/1/2	1.898	0.500✓
24	श्री लाल आ देवा जी दांगी	340/2	0.421	0.150✓
25	विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/3	0.422	0.150✓
26	प्रभुलाल पिता देवा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/4	0.885	0.300✓
27	विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/5	0.463	0.057✓
28	श्रीलाल पिता देवाजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/6	0.464	0.050✓
29	उमराव बाई पत्नि राम नारायण माली	242/1	0.025	0.012✓

30	मगन बाई पति मांगी लाल माली	242/2	0.025	0.017-
31	प्रेम बाई पति मनोहर लाल माली नि पखलिया तह हुजूर	242/3	0.013	0.006-
32	तीजू बाई पति धन सिंह माली नि पखलिया तह हुजूर	242/4	0.013	0.006-
33	कलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	338	0.543	0.363-
34	हरिप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण	337	0.543	0.362-
35	केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई ,अरुण पिता हरीप्रसाद हि. 2 पैसे जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	323/1	0.063	0.039-
36	मानसिंह पिता रतन लाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	323/2	0.076	0.050-
37	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	323/3	0.076	0.050-
38	भंवरलाल पिता छगन बलाई जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	325/1/1	0.114	0.035-
39	केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई ,अरुण पिता हरीप्रसाद हि.2 पैसे जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	325/1/2	0.102	0.035-
40	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.	325/2	0.092	0.036-
41	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.	325/3	0.092	0.070-
42	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.	325/4	0.169	0.013-
43	पून्या पिता बापूलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	341	0.114	0.086-
44	रामनारायण, रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल,कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	313/1	0.152	0.082-
45	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.	312	0.607	0.006-
46	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.	314	0.190	0.043-
47	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.	317/2	0.038	0.038-
48	प्रभुलाल आ किशन लाल कलाल	317/1	0.987	0.363-
49	रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	68	0.139	0.004-

50	रामनारायण, रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल, कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	313/2	0.569	0.344/-
51	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्रा.भू.	231/7	0.101	0.063/-
52	हरिशंकर, जगदीश, गोकल, कैलाशनारायण, बेजनाथ, अमृतलाल पिता लक्ष्मीनारायण, रामकुंवर बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण मु. कंचनबाई बैवा लक्ष्मीनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.	2/2	2.290	0.004/-
	योग्य ग्राम परिवार		32.145	84.70

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक / 16241 / भू—अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में व्यावरा—भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बाईहेड़ा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि—अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची—(1)

व्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील व्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा हे.में
1	2	3
1	बाईहेड़ा (निजी भूमि)	12.473 हे.

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना” के अंतर्गत व्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील व्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
ग्राम बाइठेडा				
1	धूलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी	416/1	1.722	0.379
2	द्वारका प्रसाद, हरिओम पिता चंदरलाल दांगी	807/1	0.628	0.398
3	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	807/2	0.444	0.109
4	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	819/1	0.290	0.101
5	नाथूलाल पिता गंगाधर नि. खजूरिया भू.स्वामी	810/1	0.626	0.233
6	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	811	0.670	0.670
7	शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	812	0.430	0.005
8	शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	818	0.721	0.193
9	रामबाबू पिता रंगलाल जाति दांगी नि.खजूरिया भू.स्वामी	814/2	0.373	0.132
10	जतन बाई पति गोकुलप्रसाद नि.खजूरिया भू.स्वामी	815/1	0.456	0.045
11	गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	819/2	0.291	0.127
12	चंदर लाल पिता दोलतराम नि.खजूरिया	821	0.999	0.310
13	रामचरण, रंगलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी	822	3.402	1.106
14	चंदर लाल पिता गंगाधर जाति दांगी नि.खजूरिया	810/2	0.626	0.233
15	किशन लाल पिता देवा जाति दांगी नि.खजूरिया	823	0.670	0.310
16	देवचंद, शिवचरण पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया	828/1	0.517	0.260
17	रामचरण पिता नाराण जाति दांगी नि.खजूरिया	828/2	0.759	0.100
18	रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	829	0.696	0.164
19	रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	831	0.379	0.165
20	रामचन्द्र पिता नाराण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	830	0.405	0.381

21	बापू लाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	832	0.645	0.101
22	धूल जी पिता धासीराम,हजारी भवरीबाई गेंदी,बादाम, नाराणी, सोनी पुत्री धीसी हि. 33 पै. भूस्वामी मेवाबाई पिता कालू हि. 33 पै. भागीरथ हजारी पिता सालगराम हि. 34 पै. जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	833	1.871	0.197
23	अमृतलाल पिता कन्हेयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	772	0.595	0.014
24	अमृतलाल पिता कन्हेयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	871	0.278	0.061
25	शिव नारायण पिता मांगीलाल भुलीबाई वैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	873	1.720	0.537
26	बदाम बाई पति लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्रा.खजूरिया	773	1.240	0.152
27	जालम पिता बाबर हि. 50 पै. चैना कालूराम मदन पिता जगन्नाथ मु० जगनीबाई वैवा गिरधारी जाति दांगी हि. 50 नि.ग्रा.भू.	865	0.683	0.519
28	गोरखन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	870	1.075	0.506
29	गोरखन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	872	0.721	0.320
30	रामप्रसाद ,शिवसिंह पिता रतीराम कन्हैया अर्जुन भारत अमृत राजेश पिता मांगीलाल धापूबाई वैवा मांगीलाल हि. 33 पै. मेवाबाई पिता प्रभुलाल गुलाब बाई बद्रीबाई रोड़ीबाई पिता गिरधारी उम्मेद पिता मंगाराम हि. 33 पै. मार्गा पिता कनीराम कैश्या रुगनाथ वैजनाथ रामनारायण पिता राजाराम हि. 34 पै. जाति चमार नि.ग्रा.भू.	866	0.468	0.084
31	ब्रदीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	869	0.316	0.003
32	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	768/2	0.639	0.038
33	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	874/1	0.267	0.151
34	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	874/3	0.536	0.387
35	रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	875/2	0.253	0.012
36	रामबगस पिता भवरलाल जाति दांगी	768/1/3	0.213	0.076
37	शंभू लाल पिता भवरलाल जाति दांगी	874/2/3	0.161	0.055
38	भवर लाल पिता देवा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	875/1	0.253	0.219
39	शम्भू लाल पिता भवरलाल जाति दांगी	902/2/2	0.399	0.021
40	रामनारायण पिता भवरलाल जाति दांगी नि.भू.	876/1	0.259	0.009

41	देवी राम पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.	766/4	1.145	0.443
42	भागमल पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.	766/5	0.386	0.284
43	हेमराज पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	904	2.176	0.864
44	बनवारी पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	917	0.430	0.164
45	बद्रीलाल पिता धीसालाल जाति दांगी	893	0.354	0.228
46	बद्रीलाल पिता धीसालाल जाति दांगी	894	0.607	0.431
47	रुकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	914/1/1	0.322	0.010
48	रुकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	914/1/2	0.285	0.009
49	रुकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.	915/2	0.152	0.068
50	धीसा लाल, करणसिंह पिता बापूलाल, कमलाबाई वैवा बापूलाल जाति भील	915/1	0.252	0.230
51	बद्रीलाल पिता धीसालाल दांगी हि. 57 पै. संतराबाई पुत्री काशीराम हि. 38 पै. संतराबाई मांगीलाल माता नाराणीबाई महेश कमलेश सुभाष दुर्गा नीरज अजय पिता बापूलाल सतोष बाई वैवा बापूलाल कन्हैयालाल पिता रामचरण प्रेमबाई वैवा रामचरण हि. 0.05 पै. जाति सुतार	916	0.772	0.112
52	अयोध्या बाई पुत्री बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	918/1	0.954	0.622
53	अयोध्या बाई पुत्री बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	920/1	0.766	0.019
54	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.	918/2	0.955	0.351
55	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.	919/1	0.114	0.013
56	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.	919/3	0.316	0.074
57	रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.	920/2	0.259	0.246
58	रामनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी	921/1/1	1.791	0.058
59	कला बाई पति शिवनारायण जाति दांगी	921/1/2	0.577	0.065
60	धापू बाई पति रामकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	921/1/3	0.572	0.015
61	रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया	834	0.961	0.409
62	शिव लाल पिता भीमा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	892	1.467	0.004
63	रामनारायण पिता भवरलाल जाति दांगी नि.भू.	783/1/4	0.305	0.081

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2017

प्र. क्र.-ए-16270.—

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कछोटिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ कछोटिया जलाशय निर्माण के दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (1) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम -कछोटिया		तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि कछोटिया जलाशय के निर्माण में एवं दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	0.632	
	योग	0.632	

अनुसूची (2)

(1) कछोटिया जलाशय में ग्राम कछोटिया की भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मांगीलाल पिता रुगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्वामी	935/16/1	1.012	0.632
	योग		1.012	0.632

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-16285.—

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम तीतरी के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – तीतरी		तहसील – सारंगपुर		जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
		कुल रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	122.749		111.533
	योग	122.749		111.533

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
			3	4	
1	आत्माराम पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	24/1 ✓	0.728 ✓	0.728 ✓
			203/4 ✓	0.142 ✓	0.142 ✓
			223/1 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
			किता 3	1.028	1.028
2	आत्माराम पिता देवसिंह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889598501	221 ✓	0.240 ✓	0.240 ✓
			279/2 ✓	0.253 ✓	0.100 ✓
			279/4 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
			किता 3	0.746	0.593
3	कमल सिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	194/2 ✓	0.126 ✓	0.126 ✓
			232 ✓	0.190 ✓	0.190 ✓
			279/6 ✓	0.506 ✓	0.200 ✓
			किता 3	0.822	0.516

4	हिन्दु सिंह देव सिंह चंदर सिंह पिता कालू सिंह मेहरबान सिंह मोड़ सिंह पिता अमर सिंह रामसिंह पिता शंकरलाल गिलास बाई पुत्री कालू जी बाजा बाई पुत्री कालू जी रामप्रसाद बाई मानकुंवर राजू बाई पिता शंकरलाल कृष्णबाई पुत्री अमर सिंह प्रहलाद बाई पुत्री कालू जी अयोध्या बाई बेवा शंकरलाल फुन्दी बाई बेवा अमर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	297/2 298/3	0.013	0.013
5	गीताबाई पिता शंकरलाल ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	किता 1	0.013	0.013
			21/1	0.229	0.100
			46/1	0.139	0.139
			255/1	0.101	0.101
			256/1	0.019	0.019
			260/1	0.093	0.093
			277/3/1	0.066	0.066
6	घीसालाल प्रहलाद चंद्रा सिंह मानसिंह करणसिंह पिता पुरालाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977425148	किता 6	0.647	0.518
			159	0.063	0.053
			160	0.076	0.076
			163	0.291	0.291
			164	1.113	0.550
7	देवेसिंह पिता मेघराज गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575026713	किता 4	1.543	0.970
			4/2/2/1	0.223	0.223
			267/2/1	0.053	0.053
			270/2/1	0.016	0.016
			274/2/4	0.034	0.034
8	नारायण पिता शिवसिंह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	किता 4	0.326	0.326
			206	0.469	0.469
9	पप्पु सिद्धनाथ बहादरसिंह पिता अनार सिंह लीलाबाई बैवा अनारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	किता 1	0.469	0.469
			21/2/2	0.229	0.080
			46/2/2	0.139	0.139
			254/2	0.007	0.007
			255/2/2	0.078	0.078
			256/2/2	0.019	0.019
			260/2/2	0.093	0.093
10	प्रहलादसिंह बाबुलाल पिता शिवसिंह व रम्पाबाई वै शिवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7354639380	किता 7	0.632	0.483
			4/2/1	0.670	0.670
			267/1	0.158	0.158
			270/1	0.051	0.051
			274/1	0.101	0.101
			277/8/2/2	0.266	0.266
			295/2/1	0.026	0.026

			297/1 298/2	0.025	0.025
		योग	किता 8	1.297	1.297
11	पीरु लालू पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	42/3 8 33/1 34/1	1.265 1.037 0.969 0.969	1.265 1.037 0.969
		योग	किता 4	3.271	3.271
12	बलदेव शंकरलाल बंशीलाल चंदर सिह पिता शोभा गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	297/5 296/6	0.038	0.015
		योग	किता 1	0.038	0.015
13	बालुसिंह पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8462064347	4/2/2/2 267/2/2 270/2/2 274/2/2 277/1/2/2	0.224 0.053 0.016 0.034 0.044	0.224 0.053 0.016 0.034 0.044
		योग	किता 5	0.371	0.371
14	भंवरलाल पिता चैना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	296/2	0.025	0.025
		योग	किता 1	0.025	0.025
15	मोड़सिंह पिता सिहु आ प सिहु पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7354163496	22/1 23/1 60 198 295/1	0.076 0.335 0.443 0.063 0.036	0.076 0.335 0.443 0.063 0.036
		योग	किता 5	0.953	0.953
16	गंगाराम प्रभुलाल जमुनाप्रसाद सागर कमल पिता मांगीलाल शांताबाई नर्मदाबाई भुलाबाई श्यामाबाई लीलाबाई गीताबाई पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	297/6 298/7 2/1 4/1 5 243 244 258 261 277/7	0.013 0.506 1.341 0.291 0.089 0.278 0.190 0.392 0.266	0.013 0.506 1.341 0.291 0.089 0.278 0.190 0.392 0.266
		योग	किता 1	3.366	3.366
17	मांगु पिता जालम गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	189/2	0.013	0.013
		योग	किता 1	0.013	0.013
18	गिलास बाई गुलाब बाई माता फुन्दी बाई विधवा उमराव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	297/3 298/4	0.025	0.025
		योग	किता 2	0.025	0.025

19	रामचंद्र निवासी	पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता ग्राम भूमि स्वामी	9893408470	25/2	0.401	0.401
				216/1	0.253	0.253
				222	0.051	0.051
				किता 3	0.705	0.705
20	सीताराम निवासी	मोड़ सिंह पिता रामरतन मानकुंवर पुत्री रामरतन जाति गुर्जर पता ग्राम भूमि स्वामी	9165508527	189/3	0.013	0.013
				7	0.392	0.392
				85	0.519	0.300
				86	0.063	0.015
				208	0.455	0.455
				251	0.835	0.835
				किता 7	2.277	2.010
21	पीरलाल भारीरथ	लालू पिता रामरतन गीताबाई चम्पाबाई सोरमबाई सुरताबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959549137	56	0.341	0.341
				57	1.101	1.101
				किता 2	1.442	1.442
22	भारीरथ	अनार कालू इंदर सिंह गिलास बाई अंजु पिता रुग्गा, होकम पिता भारीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	297/4	0.025	0.025
				298/5		
23	सोरमबाई	पति बालू जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	योग	किता 1	0.025
				230/2	0.159	0.159
				231	0.051	0.051
				235	0.152	0.152
				236	0.063	0.063
				239	0.329	0.329
				240	0.089	0.089
				262	0.683	0.683
				263	0.076	0.076
				264/3	0.190	0.190
				किता 9	1.792	1.792
24	सीताराम	पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753848837	योग	4/2/2/3	0.224
				267/2/3	0.052	0.052
				270/2/3	0.018	0.018
				274/2/3	0.033	0.033
				277/8/2/3	0.045	0.045
				किता 5	0.372	0.372
25	सिहिदया	भग्या पिता भूलाजी जाति गर्जुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9926397443	योग	22/4	1.265
				किता 1	1.265	1.265
26	होकम	सिंह भगवानसिंह पिता भारीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9826736928	योग	21/2/1	0.229
				46/2/1	0.139	0.139
				254/1	0.008	0.008
				255/2/1	0.077	0.077

			256/2/1	0.019	0.019
			260/2/1	0.093	0.093
			277/3/1	0.067	0.067
	योग		किता 7	0.632	0.503
27	हिन्दुसिंह पिता दरियावसिंह चन्द्र बाई व लीलाबाई शांतीबाई पुत्री दरयाव अमर ^१ सिंह पिता बापुलाल रम्भाबाई वि. दरयाव सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089207556	271	0.063	0.063
	योग		272	0.076	0.076
			273	1.109	1.109
	योग		किता 3	1.248	1.248
28	रुगनाथ अमर सिंह पिता नाथू अयोध्याबाई वि० नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	84/2	0.759	0.300
			195	0.443	0.400
			211	0.923	0.923
			249	0.013	0.013
			250/2	0.253	0.253
			48	1.037	1.037
			49	0.076	0.076
			50	0.228	0.228
			71	0.759	0.759
			72	0.506	0.506
			73	0.114	0.114
			81	1.404	1.404
			162	0.304	0.304
			189/1	0.151	0.137
	योग		किता 14	6.970	6.454
29	अमर सिंह पिता बापुलाल कमलबाई पति देवीसिंह गजराजसिंह पप्पुसिंह पिता कालू सिंह संपतबाई वि. कालुसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	3/1	1.043	1.043
			6/1	0.391	0.391
			31/1	0.690	0.690
			32/1	1.106	1.106
			59/1	0.607	0.607
			266/1	0.405	0.405
			277/4	0.202	0.202
	योग		किता 7	4.444	4.444
30	करण सिंह पिता शंकरलाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669630549	26	1.164	1.164
			27	0.506	0.506
			203/3	0.142	0.142
			203/1	0.142	0.142
			242	0.114	0.114
			203/2	0.142	0.142
			259	0.493	0.493
	योग		किता 7	2.703	2.703
31	जगदिश पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	70/3	1.780	1.780
			218/3	0.029	0.029
			279/3	0.759	0.200

		योग		किता 3	2.568	2.009
32	जगदीश निवासी	पिता शंकरलाल जाति गुर्जर ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	24/2 / 39/2 / 223/2 /	0.727 / 0.253 / 0.158 /	0.727 / 0.253 / 0.158 /
		योग		किता 3	1.138	1.138
33	देवीसिंह निवासी	पिता बालू जाति गुर्जर पता ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	264/1 / 264/2 / 265 / 275 / 294 / 293 /	0.531 / 1.859 / 0.164 / 0.949 / 0.645 / 0.379 /	0.400 / 0.800 / 0.164 / 0.949 / 0.600 / 0.209 /
		योग		किता 6	4.527	3.122
34	देवीसिंह निवासी	पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	42/2 / 52/1 / 70/1/1 / 70/1/2 / 149 / 218/2 /	1.265 / 0.754 / 0.691 / 0.691 / 0.063 / 0.015 /	1.265 / 0.754 / 0.691 / 0.691 / 0.015 / 0.015 /
		योग		किता 6	3.479	3.431
35	हरिप्रसाद धूला	माधु अमर सिंह सोरमबाई पिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	51/1 / 76/1 / 84/1/1 / 134/1 / 144/1 / 145/1 / 147/1 / 148/1 / 192/1 / 237/1 / 238/1 / 246/1 / 247/1 / 250/1/1 / 83/1 / 158/1 / 161/1 /	0.803 / 0.044 / 0.380 / 0.133 / 0.272 / 0.031 / 0.076 / 0.063 / 0.461 / 0.012 / 0.171 / 0.076 / 0.088 / 0.126 / 1.518 / 0.031 / 0.120 /	0.803 / 0.044 / 0.150 / 0.100 / 0.272 / 0.031 / 0.076 / 0.063 / 0.400 / 0.012 / 0.171 / 0.076 / 0.088 / 0.126 / 0.100 / 0.025 / 0.120 /
		योग		किता 17	4.405	2.657
36	नारायणसिंह मायाबाई	रामसिंह करण सिंह पारबाई पिता शिंवसिंह बन्नीलाल बाबुलाल भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	14/2 / 15/2 / 29/3 / 224/2 /	0.601 / 0.438 / 0.102 /	0.601 / 0.438 / 0.102 /
		योग		किता 3	1.141	1.141

37	नारायण सिह भगवानसिंह करण सिह रोमसिंह पिता शिवसिंह मांगीलाल छीबाई वि० भंवरजी तोलाराम राधेश्याम पिता देवीसिंह हिं० 1/4 पुरालाल रामरत्न पिता भंवरलाल हिं० 1/2 गोकूल प्रसाद कालुजी पिता ऐया हिं० 1/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	40	0.278	0.278
			199	0.215	0.215
			200	0.139	0.139
			225	0.114	0.114
			277/2	0.531	0.531
			किता 5	1.277	1.277
38	सिद्धुलाल पिता गंगाराम व शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	215	0.506	0.506
			216/2	0.430	0.430
			किता 2	0.936	0.936
			16	1.795	1.795
			55	1.328	1.328
			77	0.215	0.215
39	प्रह्लादसिंह चंद्र सिंह मानसिंह धीसालाल करण सिह गीताबाई पिता पुरा शौतानबाई वि. पुरा समंदर मदन भूरीबाई पिता पहलाद देवीसिंह रुगनाथ पिता कालू बिहारीलाल, नरभैसिंह पिता बलदेव जानीबाई वि. बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	140	0.013	0.013
			143	0.253	0.253
			197	0.089	0.089
			210	1.151	1.151
			212	0.038	0.038
			220	0.531	0.531
			226	0.101	0.101
			252	0.822	0.822
			253	0.101	0.101
			278	4.831	2.000
			किता 13	11.268	8.437
			201	0.013	0.013
			202	1.278	1.278
40	पारस पिता बालूजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	228	0.051	0.051
			230/1	0.436	0.436
			किता 4	1.778	1.778
			22/2	0.088	0.088
			23/2	0.323	0.323
			47	1.607	1.607
41	शिवलाल कालू सिह पिता पीरु बाजाबाई पिता कालू बाबू रामचरण पर्वतसिंह पिता जीतू भूराबाई शीलाबाई प्रेमबाई पिजा जीतू रामकुवर बेवा जीतू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	किता 3	2.018	2.018
			17/2	0.599	0.599
			20/2	0.278	0.278
42	बालू पिता जगमान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709			

			28/2 /	0.240 /	0.240 /
			142/2 /	0.063 /	0.063 /
			204/2 /	0.253 /	0.253 /
			227/2 /	0.110 /	0.110 /
			229/2 /	0.013 /	0.013 /
			241/2 /	0.038 /	0.038 /
	योग		किता 08	1.594	1.594
48	दिलीप सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	135/2 /	0.021 /	0.021
			136/2 /	0.004 /	0.004
			137/2 /	0.026 /	0.026
			138/2 /	0.029 /	0.029
			139/2 /	0.013 /	0.013
			135/1 /	0.021 /	0.021
			136/1 /	0.005 /	0.005
			137/1 /	0.025 /	0.025
			138/1 /	0.029 /	0.029
			139/1 /	0.013 /	0.013
	योग		किता 10	0.186	0.186
49	बालू पिता भैरु भूलीबाई अयोध्याबाई चंदूबाई पुत्री भैरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	35 /	0.063 /	0.063 /
			38 /	0.114 /	0.114 /
			39/1 /	0.316 /	0.316 /
			41 /	0.443 /	0.443 /
	योग		किता 4	0.936	0.936
50	भागीरथ पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	52/3 /	0.063 /	0.063 /
			61 /	0.417 /	0.417 /
			62 /	0.177 /	0.177 /
			66 /	0.101 /	0.101 /
			67 /	0.089 /	0.089 /
			68 /	0.405 /	0.405 /
			166 /	0.164 /	0.024 /
			209/2 /	0.253 /	0.253 /
			213/2 /	0.683 /	0.683 /
			217/1 /	0.443 /	0.443 /
			234/2 /	0.228 /	0.228 /
	योग		किता 13	3.023	2.883
51	मोडसिंह पिता सिद्धुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7354163496	25/1/2/1 /	0.400 /	0.400 /
			36/2 /	0.291 /	0.291 /
			58 /	0.595 /	0.595 /
	योग		किता 3	1.286	1.286
52	मांगीलाल पिता बोंदा जी जाति गुर्जर	9753820709	17/1 /	0.598 /	0.598 /

	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		20/1/✓	0.279 ✓	0.279 ✓
			28/1/✓	0.240 ✓	0.240 ✓
			227/1/✓	0.110 ✓	0.110 ✓
			229/1/✓	0.012 ✓	0.012 ✓
			241/1/✓	0.038 ✓	0.038 ✓
			142/1/✓	0.636 ✓	0.636 ✓
	योग		किता 7	1.913	1.913
48	मांगीलाल रमेश पिता भौला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697355608	51/2/✓	0.804 ✓	0.804 ✓
			76/2/✓	0.045 ✓	0.045 ✓
			84/1/2/✓	0.379 ✓	0.150 ✓
			144/2/✓	0.272 ✓	0.272 ✓
			145/2/✓	0.032 ✓	0.032 ✓
			147/2/✓	0.076 ✓	0.076 ✓
			148/2/✓	0.063 ✓	0.063 ✓
			192/2/✓	0.462 ✓	0.400 ✓
			237/2/✓	0.013 ✓	0.013 ✓
			238/2/✓	0.171 ✓	0.171 ✓
			246/2/✓	0.076 ✓	0.076 ✓
			247/2/✓	0.089 ✓	0.089 ✓
			250/1/2/✓	0.127 ✓	0.127 ✓
			134/2/✓	0.133 ✓	0.100 ✓
			158/2/✓	0.032 ✓	0.016 ✓
			161/2/✓	0.120 ✓	0.076 ✓
	योग		किता 16	2.894	2.510
49	निर्वय सिंह पिता रामदयाल कृष्णबाई, प्रेम बाई सोनाबाई पिता रामदयाल, मांगू बाई बेवा रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435950921	12/2/✓	0.322 ✓	0.322 ✓
			36/1/2/✓	0.430 ✓	0.430 ✓
			214/2/✓	0.411 ✓	0.411 ✓
			277/1/2/✓	0.266 ✓	0.266 ✓
	योग		किता 4	1.429	1.429
50	शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	12/1/✓	0.322 ✓	0.322 ✓
			36/1/1/✓	0.430 ✓	0.430 ✓
			214/1/✓	0.411 ✓	0.411 ✓
			277/1/1/✓	0.265 ✓	0.265 ✓
	योग		किता 4	1.428	1.428
51	विजयसिंह देवबाई, पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवानसिंह, गिलास बाई पिता दर्याव सिंह, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697732119	37/2/✓	0.582 ✓	0.582 ✓
			52/2/✓	0.108 ✓	0.108 ✓
			70/4/✓	1.700 ✓	1.700 ✓
			141/✓	0.126 ✓	0.100 ✓
			194/3/✓	0.089 ✓	0.089 ✓
			196/✓	0.063 ✓	0.063 ✓
			209/3/✓	0.240 ✓	0.240 ✓
			218/4/✓	0.029 ✓	0.029 ✓

			219 /	0.455 -	0.455 -
			233 /	0.228 -	0.228 -
			279/5 /	1.517 -	0.217 -
		योग	किता 11	5.137	3.811
52	विष्णुप्रसाद पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754770565	37/1 /	0.582 -	0.582 -
			65 /	0.063 -	0.063 -
			70/2 /	0.253 -	0.253 -
			193 /	0.759 -	0.759 -
			209/1 /	0.253 -	0.253 -
			213/1 /	0.683 -	0.683 -
			217/2 /	0.442 -	0.442 -
			218/1 /	0.015 -	0.015 -
			234/1 /	0.227 -	0.227 -
			279/1 /	0.759 -	0.300 -
		योग	किता 10	4.036	3.577
53	विष्णुप्रसाद पिता सिद्धलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754770565	30 /	0.101 -	0.101 -
			251/1 /	0.400 -	0.400 -
		योग	किता 2	0.501	0.501
54	देवसिंह शीतानबाई सौरम बाई नर्मदा बाई पिता समंदरसिंह देवबाई पिता हरलाल प्रहलाद पिता हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	6/2 /	0.400 -	0.400 -
			59/2 /	0.670 -	0.670 -
			44 /	0.885 -	0.885 -
			63 /	0.569 -	0.569 -
			64 /	0.493 -	0.493 -
			257 /	0.164 -	0.164 -
			266/2 /	0.405 -	0.405 -
			268 /	0.481 -	0.481 -
			269 /	0.152 -	0.152 -
			277/5 /	0.202 -	0.202 -
			31/2 /	0.601 -	0.601 -
			32/2 /		
		योग	किता 11	5.022	5.022
55	सिद्धिया गंगा सीताबाई शांताबाई श्यामू बाई कंकू बाई भेवा बाई पिता धुला प्रभुलाल छीतू लीलाबाई शारदा बाई पिता भवरिया, भवरीया बलदेव शंकर पिता दरयाव, मांगीलाल पिता शंकर, गीताबाई सीता कमला शांताबाई पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	10 /	1.151 -	1.151 -
			19 /	1.859 -	1.859 -
		योग	किता 2	3.010	3.010
56	सूरजसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	14/1 /	0.601 -	0.601 -
			15/1 /		
			29/1 /	0.436 -	0.436 -

			224/1	0.101	0.101
	योग		किता 3	1.138	1.138
57	हिन्दुसिंह पिता दरियावसिंह रम्भाबाई वि. दरियावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089207556	3/2 /	1.053 /	1.053 /
			6/3 /	0.400 /	0.400 /
			31/3 /	0.810 /	0.810 /
			32/3 /	1.107 /	1.107 /
			59/3 /	0.481 /	0.481 /
			80/1 /	1.120 /	1.120 /
	योग		किता 6	4.971	4.971
58	ईश्वर सिंह पप्पु पिता कालू सम्पत्त बाई बैवा कालू श्यामा बाई राजू बाई सीता बाई पुत्री कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	2/2 /	0.253 /	0.253 /
	योग		किता 1	0.253	0.253
59	विष्णु प्रसाद पिता सिद्धनाथ शेतान बाई बैवा सिद्धनाथ पारु बाई सुगन बाई शांति बाई सजन बाई पुत्री सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	205 /	0.379 /	0.379 /
	योग		किता 1	0.379	0.379
60	हिन्दु सिंह पिता दरियाव सिंह चंदा बाई लीला बाई शांति बाई पुत्री दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089207556	296/1 /	0.038 /	0.038 /
	योग		किता 1	0.038	0.038
61	अमर सिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	296/3 /	0.025 /	0.025 /
	योग		किता 1	0.025	0.025
62	नारायण सिंह गोकुलसिंह बाबूलाल पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	17/3 /	0.598 /	0.598 /
			20/3 /	0.278 /	0.278 /
			28/3 /	0.241 /	0.241 /
			135/3 /	0.021 /	0.021 /
			136/3 /	0.004 /	0.004 /
			137/3 /	0.025 /	0.025 /
			138/3 /	0.031 /	0.031 /
			139/3 /	0.012 /	0.012 /
			142/3 /	0.063 /	0.063 /
			204/3 /	0.253 /	0.253 /
			227/3 /	0.109 /	0.109 /
			229/3 /	0.013 /	0.013 /
			241/3 /	0.038 /	0.038 /
	योग		किता 13	1.686	1.686

	शीलाल चन्द्रसिंह पिता शोभाराम सौताराम बाबू रमेश पिता बलदेव सोलहाई पुत्री बलदेव पारबाई पुत्री बलदेव चन्द्रसिंह पिता रुग्गा भगवानसिंह रामसिंह कालूसिंह शारदाबाई पुत्री कालूसिंह छमाबाई विधवा कालूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435721296	29/2/3 / 46/2/3 / 254 / 255/2/3 / 256/2/3 / 260/2/3 / 244/3/2/3 /	0.917 / 0.556 / 0.051 / 0.389 / 0.076 / 0.374 / 0.331 /	0.917 / 0.556 / 0.051 / 0.389 / 0.076 / 0.374 / 0.331 /
	योग		किता 7	2.694	2.694
64	कमलबाई बेवा राधेश्याम धरमसिंह सौदान पिता राधेश्याम रेखबाई पुत्री राधेश्याम तोलाराम पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	29/2 / 224/3 /	1.010 / 0.101 /	1.010 / 0.101 /
	योग		किता 2	1.111	1.111
65	मानसिंह पिता पूरालाल मेहताबबाई कचनबाई पिता पूरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7241103293	13. / 33/2 / 34/2 / 207 /	0.405 / 0.969 / 0.481 /	0.405 / 0.969 / 0.481 /
	योग		किता 3	1.855	1.855
66	चन्द्रसिंह गोकुल पिता भाग्या कमल ईश्वर पिता कालू शान्तिबाई पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617272217	9 / 33/3 / 34/3 /	0.885 / 0.970 /	0.885 / 0.970 /
	योग		किता 2	1.855	1.855
67	भूराबाई पत्नी सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753820709	204/1 /	0.253 /	0.253 /
	योग		किता 1	0.253	0.253
68	विजय सिंह पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवान सिंह पिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697732119	156 /	0.101 /	0.030 /
	योग		किता 1	0.101	0.030
			महायोग	122.749	111.533

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. 5340-रीडर-भू-अर्जन-2017,

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-244-अ-82-2016-17

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेड़ा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-कस्बा बड़वानी तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 12.227 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 30.20 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :— अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेड़ा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की सभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेड़ा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कस्बा बड़वानी तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	5/1 } 7/2 }	भूस्वामी	निजी	0.137	दाऊ पिता मांगीलाल जाति काढी निवासी ग्राम
2	7/1	भूस्वामी	निजी	0.315	साबीरा बी पति मोहम्मद आकिल मन्सुरी जाति पिजारा निवासी—ग्राम

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	7/5 7/6 }	भूस्वामी	निजी	0.140	नाजनीन बी बेवा मो. असलम, मोईनुद्दिन पिता मो. असलम, मो. अनस, मो. मोबिन पिता मो.असलम, ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो.असलम पिंजारा सा. ग्रम
4	9/1 9/9 }	भूस्वामी	निजी	0.060	गणेश गंजानन्द शिवकन्या रामकन्या पिता मोतिलाल लक्ष्मीबाई बेवा मोतीलाल जाति काछी निवासी—ग्रम
5	9/2 9/3 }	भूस्वामी	निजी	0.180	नाजनीन बी बेवा मो. असलम मोईनुद्दिन पिता मो.असलम, मो. अनस मो. मोबिन पिता मो.असलम ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो.असलम साबिरा बी बेवा आकिल मोहम्मद जाति पिंजारा निवासी ग्रम
6	9/4 9/5 }	भूस्वामी	निजी	0.178	नाजनीन बी बेवा मो. असलम मोईनुद्दिन पिता मो.असलम, मो. अनस मो. मोबिन पिता मो.असलम ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो.असलम साबिरा बी बेवा आकिल मोहम्मद जाति पिंजारा निवासी ग्रम
7	9/7	भूस्वामी	निजी	0.270	दिलीप संजय पिता रघुनाथ जाति भील निवासी ग्रम
8	12/1	भूस्वामी	निजी	0.242	देवराम पिता लक्ष्मणराव जाति बहाण निवासी ग्रम
9	12/3	भूस्वामी	निजी	0.246	बद्रीलाल पिता मनाजी श्रीमती लीलाबाई पति बद्रीलाल जाति सर्वी निवासी ग्रम
10	13/1	भूस्वामी	निजी	0.056	संतोष पिता राजाराम तेली निवासी ग्रम
11	13/2	भूस्वामी	निजी	0.085	बंशीलाल पिता राजाराम तेली निवासी ग्रम
12	14	भूस्वामी	निजी	0.405	जगदीश नानुराम भगवान कैलाश रुकमणी राधा पिता सीताराम रामकुवरबाई बेवा सीताराम जाति अहिर निवासी ग्रम

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
13	16/1	भूस्वामी	निजी	0.398	जगदीश नानुराम भगवान कैलाश रुक्मणी राधा पिता सीताराम रामकृष्णराम बेवा सीताराम जाति अहिर निवासी ग्रम
14	16/2	भूस्वामी	निजी	0.275	नारायण बाबुलाल पिता अमरा तेजू बेवा अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्रम
15	18/2	भूस्वामी	निजी	0.430	नारायण बाबुलाल पिता अमरा तेजू बेवा अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्रम
16	20/1 21/1 } 22/1 }	भूस्वामी	निजी	0.040	भीमसिंग कैलाश पिता मांगीलाल बायजा बेवा मांगीलाल छगन खजान पिता नन्दला पप्पु रामसिंग पिता शंकर कमली बेवा शंकर सुमी शमी लछी पिता शंकर जाति भील निवासी ग्रम
17	20/2 21/2 22/2 } 23/2 }	भूस्वामी	निजी	0.154	दोलत पिता पुन्या सुकलीबाई बेवा पुन्या जाति तड़वी भील निवासी ग्रम
18	20/4 21/4 } 22/4 }	भूस्वामी	निजी	0.073	ऐमा पिता मांगू जाति सिर्वी निवासी ग्रम
19	20/5 21/5 22/1 } 23/1 }	भूस्वामी	निजी	0.093	कपिल आनंद पिता हीरालाल गेंदाबाई बेवा हीरालाल जाति सिर्वी निवासी ग्रम
20	20/6 21/6 22/2 } 23/2 }	भूस्वामी	निजी	0.089	भुरेलाल पिता रूपाजी जाति सिर्वी निवासी ग्रम
21	21/7	भूस्वामी	निजी	0.080	गनसिंग पिता मंगल्या जाति भील निवासी ग्रम
22	22/3 23/5 } 24/5 }	भूस्वामी	निजी	0.097	राधु बद्री दीपक सिकदार ध्यानसिंग पिता सुखलाल केशर बेवा सुखलाल सुमन गौरा जानू पिता सुखलाल जाति तड़वी निवासी ग्रम
23	23/1	भूस्वामी	निजी	0.085	मनीबाई गीताबाई पिता बिशन जाति तड़वी भील निवासी ग्रम

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
24	23/3	भूस्वामी	निजी	0.077	भीमसिंग कैलाश पिता मांगीलाल बायजा बेवा मांगीलाल छगन खजान पिता नन्दला पप्पु रामसिंग पिता शंकर, कमली बेवा शंकर, सुमी, शमी, लछी पिता शंकर जाति भील निवासी ग्रम
25	23/6	भूस्वामी	निजी	0.064	मोहन सोहन शोभाराम पिता कालु ना.बा. गा. घोरीबाई बेवा कालु व गौरीबाई बेवा कालु जाति तड़वी भील निवासी ग्रम
26	23/11	भूस्वामी	निजी	0.064	शांताबाई पति दोलत जाति भील निवासी ग्रम
27	27/3 27/9 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.218	मोतिलाल पिता हरजी जाति सिर्वी निवासी ग्रम
28	27/7 27/8 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.170	राजेन्द्र पिता गोविन्द शांताबाई बेवा गोविन्द जाति सिर्वी निवासी ग्रम
29	36/2 37 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.166	कैलाश पिता भीका जाति सिर्वी निवासी ग्रम
30	43/6	भूस्वामी	निजी	0.360	लीलाबाई कलाबाई सुमन कुसुम शान्ता मंधु पिता भाना वाली बेवा भाना जाति सिर्वी निवासी ग्रम
31	43/7	भूस्वामी	निजी	0.600	राहुल रवि ममता पिता भगवान लक्ष्मी बेवा भगवान जाति सिर्वी निवासी ग्रम
32	45 46/2 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.182	विजय अजय पिता रन्छोड गीताबाई बेवा रन्छोड जाति सिर्वी निवासी ग्रम
33	48/3 49 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.235	भगवान पिता कानाजी जाति सिर्वी निवासी ग्रम
34	48/4 48/5 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.307	कैलाश पिता भीका जाति सिर्वी निवासी ग्रम
35	48/6 48/7 } } } } }	भूस्वामी	निजी	0.153	गोकुल पिता झापडुसा जाति दशोरा निवासी ग्रम
36	48/8	भूस्वामी	निजी	0.109	रन्छोड पिता मनाजी जाति सिर्वी निवासी ग्रम
37	48/10	भूस्वामी	निजी	0.105	ओमप्रकाश पिता नाथुलाल जाति सिर्वी निवासी ग्रम

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
38	51/2	भूस्वामी	निजी	0.040	कैलाशचन्द पिता कृष्णराव जाति बहाण निवासी ग्रम
39	69 70 71 72 } 75	भूस्वामी	निजी	0.226	भगवान पिता नैना जाति सिर्वी निवासी ग्रम
40		भूस्वामी	निजी	0.206	दुधा पिता नैना जाति सिर्वी निवासी ग्रम
41	77/1 77/2 416/2 }	भूस्वामी	निजी	0.270	कैलाश पिता ऊँकार जाति सिर्वी निवासी ग्रम
42	83/1	भूस्वामी	निजी	0.222	जगदीश, रामलाल पिता बाबुलाल, लक्ष्मी पिता बाबुलाल, जानुबाई बेवा बाबुलाल जाति सिर्वी निवासी ग्रम
43	87/1 } 88/4 }	भूस्वामी	निजी	0.117	शंकर पिता बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्रम
44	88/1	भूस्वामी	निजी	0.117	संतोष पिता बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्रम
45	88/3 } 89/2 }	भूस्वामी	निजी	0.250	बालीबाई पति बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्रम
46	91/3	भूस्वामी	निजी	0.097	राजा, रजनी, अनिता पिता शिवराम, माया बेवा शिवराम जाति काछि निवासी ग्रम
47	91/5	भूस्वामी	निजी	0.101	मथुराबाई बेवा रामा जाति काछि निवासी ग्रम
48	91/6	भूस्वामी	निजी	0.052	मंगुबाई पति लालाजी जाति सिर्वी निवासी ग्रम
49	91/8	भूस्वामी	निजी	0.105	मंगुबाई पति लालाजी जाति सिर्वी निवासी ग्रम
50	92/5	भूस्वामी	निजी	0.113	गोपाल पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम
51	92/6	भूस्वामी	निजी	0.195	भगवान पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम
52	93/1 } 111/2 }	भूस्वामी	निजी	0.028	रामू पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम

सं.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	आर्जन का क्षेत्र(ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
53	93/2 111/7}	भूस्वामी	निजी	0.044	हरी पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम
54	93/3 111/8}	भूस्वामी	निजी	0.044	भगवान पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम
55	111/4 112/1}	भूस्वामी	निजी	0.235	सत्यनारायण पिता पुनाजी मिश्रीबाई बेवा पुनाजी जाति माली निवासी ग्रम
56	111/9	भूस्वामी	निजी	0.044	गोपाल पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम
57	111/10	भूस्वामी	निजी	0.044	शंकर पिता रतना जाति माली निवासी ग्रम
58	112/3	भूस्वामी	निजी	0.101	नरेश पिता लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्रम
59	113 114}	भूस्वामी	निजी	0.332	चतरसिंग भारत रतनसिंग कन्हैया कृष्णा पिता मदन कन्हैया कृष्णा ना.बा. गा. चनन बेवा मदन जाति भीलाला निवासी ग्रम
60	115/2 116}	भूस्वामी	निजी	0.242	अजीज हमीद पिता इलाहीबक्ष एहमद कालु पिता बशीर हसीना पति कामिल सादिक शोहराब खलील पिता रशीद हसीना बेवा रशीद रफीक शफी मुबारिक जलील पिता मजीद रशीदा बेवा मजीद अकबर आरिफ आसिक पिता लियाकत हसीना बेवा लियाकत कालु पिता बशीर जाति पंजारा निवासी ग्रम
61	222/5	भूस्वामी	निजी	0.420	आयुष पिता वासुदेव ना.बा.गा. ज्योति पति वासुदेव जाति कुलमी निवासी ग्रम
62	227/2	भूस्वामी	निजी	0.044	भोल्या पिता टन्टु जाति भीलाला निवासी ग्रम
63	227/3	भूस्वामी	निजी	0.016	दिनेश पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्रम
64	227/4	भूस्वामी	निजी	0.178	मनोहर पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्रम
65	227/5 228/1}	भूस्वामी	निजी	0.081	काशीराम पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्रम
66	227/6 228/6}	भूस्वामी	निजी	0.036	सरस्वतीबाई पति भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्रम
67	229/1 229/3}	भूस्वामी	निजी	0.315	लवकुमार पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता निवासी ग्रम

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अजेन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6

68	229/5	भूस्वामी	निजी	0.202	कुशकुमार पिता लक्ष्मानारायण गुप्ता निवासी ग्रम
69	233	भूस्वामी	निजी	0.024	सीताराम गणपत लक्ष्मण पिता पेमा अन्धुर्ण द्वारकी पिता पेमा झबु बेवा पेमा जाति भारुड निवासी ग्रम
70	234	भूस्वामी	निजी	0.068	लक्ष्मीनारायण पिता मकुच्चराम गुप्ता निवासी ग्रम
71	266/2	भूस्वामी	निजी	0.186	विकाश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्रम
72	266/4	भूस्वामी	निजी	0.024	तुलाराम पिता दयाराम जाति तेली निवासी ग्रम
73	267/3/1	भूस्वामी	निजी	0.160	विकाश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्रम
74	267/3/2	भूस्वामी	निजी	0.068	हरिश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्रम
75	267/5	भूस्वामी	निजी	0.020	दिनेश पिता मेघन जाति भारुड निवासी ग्रम
76	267/6	भूस्वामी	निजी	0.222	सुखलाल पिता मेघन जाति भारुड निवासी ग्रम
	योग			12.227	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीयृदं को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या योधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राप्तिकर करती है।

* अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्या/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकें।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगे।

क्र. 5341-रीडर-भू-अर्जन-2017,

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-243-अ-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़वानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेगांवा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 11.680 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 28.84 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़वानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़वानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेगांवा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	2/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.108	शफीमोहम्मद, रफीमोहम्मद पिता गनी मोहम्मद, जाति लोहार, निवासी-ग्राम
2	4/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.475	समीना बेवा आबुतराव साबीर, मुस्तफा, रशीदा पिता आबुतराव साबीर, जाति बोहरा निवासी-ग्राम

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	5/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.150	डॉ. भूषणकुमार पिता जगतनारायण, मनीषा पति भूषणकुमार सक्सेना, निवासी—ग्राम
4	5/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.135	डॉ. भूषणकुमार पिता जगतनारायण, मनीषा पति भूषणकुमार सक्सेना, निवासी—ग्राम
5	5/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.175	बाबूलाल पिता रुखड़ु जाति सिर्वी निवासी—साकिन देह
6	12/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.150	रुकमणीबाई पति राजाराम जाति काढी निवासी—ग्राम
7	12/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.115	बुदिया पिता पोमडया जाति काढी साकिन—देह
8	12/3 पैकि	भूस्वामी	निजी भूमि	0.130	शंकर पिता पोमडया जाति काढी साकिन—देह
9	12/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.155	गोविन्द पिता पोमडया जाति काढी, निवासी—ग्राम
10	12/5 के } 13	भूस्वामी	निजी भूमि	0.245	गोपीलाल पिता उदिया जाति काढी, निवासी—ग्राम
11	15/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.165	दुदा पिता मूला जाति सिर्वी, साकिन—देह
12	15/4/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.175	राजू पिता पना जाति सिर्वी, साकिन—देह
13	15/4/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.175	जितेन्द्र पिता पना जाति सिर्वी निवासी—ग्राम
14	18/2 } 19	भूस्वामी	निजी भूमि	0.020	दुदा पिता मूला जाति सिर्वी, साकिन—देह
15	20/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.230	पूनमचंद पिता वेडिया जाति काढी, निवासी—ग्राम
16	21/1 पैकि	भूस्वामी	निजी भूमि	0.170	दुधा पिता मूला जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
17	21/1/1 पैकि	भूस्वामी	निजी भूमि	0.135	मनोज पिता राधाकृष्ण महाजन, निवासी—ग्राम
18	22/3 } 22/5 } 22/8 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.600	रामा पिता नारायण जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
19	22/4/1 } 22/7 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.310	पियुष पिता दामोदरजी पुरोहित, सुशील पिता लक्ष्मीनारायण सोनी, निवासी—ग्राम

सं.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
20	22/4/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.025	दुदा पिता टिकम जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
21	23 25 26 27 / १ैकी } 27 / १ैकी	भूस्वामी	निजी भूमि	0.185	रियाजुददीन, अकीमुददीन, नजमुददीन, सेफुउददीन पिता सिराजुददीन जाति पठान, निवासी—ग्राम
22	24/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.057	जया पति अजय जाति कुलमी, निवासी—ग्राम
23	24/4 24/5 24/6 पैकी } 24/6 पैकी	भूस्वामी	निजी भूमि	0.299	हुकुमचंद, जगदीश पिता भूरेलाल, धनुबाई, लता पिता भूरेलाल, प्रभाबाई बेवा भूरेलाल जाति काछी, निवासी—ग्राम
24	47/3 48/3 } 48/3 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.350	मोती पिता उदीया जाति सिर्वी, साकिन—देह
25	49/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.165	ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
26	49/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.050	ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
27	52/10 53/12 } 53/12 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.025	नानुराम पिता बुदिया जाति काछी, निवासी—बड़वानी
28	53/10 53/13 } 53/13 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.060	जगन्नाथ पिता बुदिया जाति काछी, निवासी—बड़वानी
29	54/2 54/3 } 54/3 }	भूस्वामी	निजी भूमि	1.395	भगवान, शंकर पिता लालू जाति सिर्वी साकिन—देह
30	54/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.140	शंकर पिता लालुजी जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
31	59/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.110	जीवनलाल पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी—करी
32	59/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.110	गणेश पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी—करी
33	59/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.190	मनोहर पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी—करी
34	60/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.405	सिरवटीबाई पति प्रेमसिंग पटेल, जाति बारेला, निवासी—सुस्तीखेडा
35	60/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.195	सुदामा पिता मांगीलाल जाति कुलमी, साकिन—देह

खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(ह.)	व्यक्ति का नाम और पता	
1	2	3	4	5	6
36	60/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.360	सहदेव पिता मांगीलाल जाति कुलमी, साकिन-देह
37	60/6	भूस्वामी	निजी भूमि	0.260	सत्यनारायण पिता मांगीलाल, जाति कुलमी, निवासी-कुण्डिया
38	60/7	भूस्वामी	निजी भूमि	0.185	सुदामा, सहदेव, सत्यनारायण पिता मांगीलाल, जाति कुलमी, निवासी-ग्राम
39	61/4 61/5 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.210	सुदामा, सहदेव, सत्यनारायण पिता मांगीलाल, जाति कुलमी, निवासी-ग्राम
40	61/10	भूस्वामी	निजी भूमि	0.040	कमलेश पिता यशवन्त जाति ब्राह्मण, निवासी-ग्राम
41	61/12 61/13 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.060	कलाबाई पिता चम्पालाल जाति कलाल, निवासी-ग्राम
42	62/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.099	निर्मला पति कैलाश शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी-ग्राम
43	62/6	भूस्वामी	निजी भूमि	0.099	मंजू पति राजेन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी-बडवानी
44	62/7	भूस्वामी	निजी भूमि	0.099	लतीफ पिता रशीद, सायना पति सादीक जाति पिंजारा निवासी-बडवानी
45	73/14	भूस्वामी	निजी भूमि	0.059	राधाकृष्ण, पिता बालकृष्ण जाति महाजन, निवासी-ग्राम
46	73/17	भूस्वामी	निजी भूमि	0.043	मनोज पिता काशीराम जाति जाट, निवासी-ग्राम
47	73/19	भूस्वामी	निजी भूमि	0.023	सुरेश पिता गोकुल, ममता पति सुरेश जाति चमार, दलजीतसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता धरमसिंह जाति सिक्ख निवासी-ग्राम
48	73/20	भूस्वामी	निजी भूमि	0.023	बलवीरसिंह पिता धरमसिंह जाति सिक्ख, जीवनलाल पिता गोकुल जाति चमार, निवासी-ग्राम
49	77/3 79/4 79/5 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.690	राधाकृष्ण, पिता बालकृष्ण जाति महाजन, निवासी-ग्राम
50	80/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.055	गोपाल पिता मना, जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
51	82/3 83/1 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.305	शंकर पिता भगवान जाति सिर्वी, साकिन-देह

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
52	82/7 83/2 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.030	नारायण पिता भगवान, नन्दु बेवा भगवान जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
53	82/9	भूस्वामी	निजी भूमि	0.375	राजू पिता भानालाल जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
54	94/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.060	कमलाबाई पति राधाकृष्ण सराफ निवासी—ग्राम
55	94/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.028	सूरज पिता राजेन्द्र जाति जैन निवासी—बड़वानी
56	94/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.028	यश पिता महेश जाति ब्राह्मण निवासी—ग्राम
57	98/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.360	हिरा पिता धीरस्या जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
58	98/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.235	शंकर पिता दीपा जाति सिर्वी, निवासी—ग्राम
59	99/1 100/1 }	भूस्वामी	निजी भूमि	0.375	जगदीश, शंकर पिता खेमा, जाति सिर्वी, साकिन—देह
	योग			11.680	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्या/विक्या, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकें।

* संचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है प्राचीत धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्र. 1300-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) हनुमन्ता	(4) 1.130	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर के अन्तर्गत हनुमन्ता माइनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1302-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) तिवनी	(4) 4.680	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर के अन्तर्गत तिवनी माइनर नं. 1 एवं 2 की सबमाइनर तथा तिवनी माइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1304-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) करौदा	(4) 1.710	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के पिपरवार माइनर नं. 3, तिवनी माइनर नं. 1 की सबमाइनर, तिवनी माइनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1306-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) मनकहरी	(4) 5.842	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सबमाइनर नं. 4 एवं मनकहरी माइनर की सबमाइनर नं.-1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1308-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मनवाही-453	0.012	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1310-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मुढ़ियारी	2.102	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर की सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1312-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की गुहिया माइनर एवं सबमाइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1314-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की रिमारी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1316-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डेल्ही	2.361	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की रिमारी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1318-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कटकी	3.571	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1320-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बैड़ौआ	1.824	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की बैड़ौआ माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1322-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चु. मदनुआ-513		1.440	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रायपुर कर्चु मुख्य नहर की बुद्धिया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1324-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता

है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
रीवा	मनगढ़ां	कठेरी	2.123	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).		बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की कठेरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1326-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
रीवा	सिरमौर	सथनी	0.063	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).		बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सब- माइनर नं.-4 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1328-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धौरहरा	2.512	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं.-1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1330-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चु.	बुढ़िया	0.012	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1332-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		
रीवा	मनगवां	बेलवा	0.554	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं.-2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. 1334-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		
रीवा	रायपुर	कुइयां खुर्द 93 कर्चुलियान	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु।	

क्र. 1336-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	नीवी	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1338-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्कस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	नीवी	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1340-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्कस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगढ़ा	नीवी-271	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1342-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) नीवी-272	(4) 2.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1344-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) बुसौली न.- 2.381	(4) 3.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1346-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) बुसौली न.- 380	(4) 4.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1348-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	मनगवां	पुरवा-310	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु,	

क्र. 1350-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	मनगवां	अधिहा भाई न. 2, 11	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु,	

क्र. 1352-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	मनगवां	बुसौली न.- 3,382	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.	

क्र. 1354-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	नईगढ़ी	नीवी शिवरतन-550.	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.	

क्र. 1356-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	मनगवां	मढ़ी-436	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 9 मार्च 2017

प्रकरण क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	ख. नं. एवं रकबा	क्षेत्रफल हेक्टेयर	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
होशंगाबाद	सोहागपुर	ग्राम माछा	ख. नं. 489 रकबा 1.874 में से.	0.052	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सोहागपुर.	शोभापुर-माछा मार्ग पर कुञ्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
होशंगाबाद	सोहागपुर	ग्राम तिथडा	197/2 रकबा 2.428 में से.	0.061		

योग . . 0.113

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—शोभापुर माछा मार्ग पर कुञ्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	528	0.009
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	515	0.003
	529	0.155
रीवा, दिनांक 11 अगस्त 2017	532	0.096
	534	0.008
पत्र क्र. 1358-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को	20	0.037
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	252	0.092
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि	248	0.220
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	247	0.073
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	246	0.103
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा	224	0.018
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	223	0.047
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	225	0.013
अनुसूची	243	0.055
	242	0.125
(1) भूमि का वर्णन—	229	0.001
(क) जिला—रीवा	45	0.003
(ख) तहसील—हुजूर	241	0.108
(ग) ग्राम—जोन्ही-213	46	0.043
(घ) क्षेत्रफल—5.074 हेक्टेयर.	240	0.010
	105	0.336
खसरा नं.	अर्जित रकबा	104
	(हेक्टेयर में)	107
(1)	(2)	108
अ-निजी पट्टे की भूमि		114
361	0.143	115
360	0.065	113
432	0.018	116
433	0.023	117
435	0.053	118
431	0.038	138
430	0.001	137
436	0.002	136
437	0.051	47
454	0.064	43
446	0.009	37
447	0.056	31
445	0.011	2
449	0.009	533
448	0.030	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 4.688
474	0.060	ब-म. प्र. शासन की भूमि
523	0.028	359
522	0.024	462
519	0.240	0.019
		0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
253	0.127	142	0.095
135	0.009	141	0.006
133	0.057	140	0.112
130	0.154	122	0.004
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.386</u>	125	0.080
अ + ब का कुल योग . .	<u>5.074</u>	126	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 1360-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—कौवाढान-114
- (घ) क्षेत्रफल—3.336 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकमा
	(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

212	0.297
207	0.228
206	0.086
171	0.035
173	0.063
176	0.157
175	0.001
177	0.156
149	0.068
146	0.088
147	0.008
148	0.093

142	0.095
141	0.006
140	0.112
122	0.004
125	0.080
126	0.141
128	0.291
88	0.108
89	0.050
83	0.252
82	0.081
81	0.173
131	0.084
130	0.052
132	0.172

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.981

ब-म. प्र. शासन की भूमि

219	0.001
220	0.119
213	0.034
218	0.101
215	0.098
214	0.002

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.355
अ + ब का कुल योग . . 3.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 1362-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—नौवस्ता-325
 (घ) क्षेत्रफल—0.751 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—भोलगढ़-483
 (घ) क्षेत्रफल—6.095 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि.			
666	0.105	832	0.254
608	0.394	831	0.007
611	0.002	769	0.026
610	0.006	770	0.384
609	0.011	762	0.030
601	0.086	761	0.002
604	0.001	738	0.181
600	0.007	736	0.288
598	0.013	731	0.234
597	0.046	728	0.087
596	0.005	729	0.054
591	0.066	727	0.007
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.742</u>	726	0.003
ब-म. प्र. शासन की भूमि			
665	0.009	842/726	0.182
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.009</u>	725	0.008
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.751</u>	724	0.139
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।			
पत्र क्र. 1364-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रीवा			
(ख) तहसील—हुजूर			
625		625	0.041
606		606	0.118
605		605	0.011
220		220	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
604	0.126	26	0.020
603	0.009	36	0.101
222	0.070	39	0.101
223	0.012	38	0.009
149	0.073	62	0.012
150	0.005	63	0.010
151	0.025	61	0.100
152	0.066	60	0.006
146	0.012	320	0.002
147	0.002	321	0.032
132	0.016	322	0.064
131	0.118	325	0.041
260	0.017	326	0.025
259	0.030	328	0.017
261	0.033	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
257	0.017		6.020
265	0.026	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
266	0.047	49	0.013
286	0.003	225	0.010
267	0.032	133	0.021
268	0.005	221	0.031
284	0.055	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	
273	0.016		0.075
283	0.068	अ + ब का कुल योग . .	
282	0.047		6.095
291	0.002		
292	0.096		
280	0.034		
386	0.040		
385.	0.066		
383	0.034		
380	0.066		
382	0.015		
381	0.077		
369	0.098		
370	0.147		
367	0.038		
366	0.014		
360	0.252		
359	0.012		
358	0.044		
8	0.157		
11	0.023		
28	0.245		
29	0.002		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1366-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्चवरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

- (ग) ग्राम—वैजनाथ-457
 (घ) क्षेत्रफल—0.918 हेक्टेयर.

- (ग) ग्राम—धौचट-302
 (घ) क्षेत्रफल—2.295 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि		अ-निजी पट्टे की भूमि
1147	0.007	9	0.282
1148	0.041	10	0.018
1151	0.031	34	0.213
1152	0.146	33	0.159
1535	0.116	27	0.132
1536	0.194	28	0.015
1537	0.106	17	0.164
1538	0.275	24	0.066
1150	0.002	25	0.160
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.918</u>	26	0.009
		22	0.039
	ब-म. प्र. शासन की भूमि	339	0.183
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	161	0.058
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.918</u>	162	0.086
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		163	0.231
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।		182	0.016
पत्र क्र. 1368-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		181	0.063
		180	0.004
		184	0.096
		185	0.070
		189	0.030
		187	0.099
		186	0.077
	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.270</u>	
	ब-म. प्र. शासन की भूमि		
	153	0.025	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.025</u>		
अ + ब का कुल योग . .	<u>2.295</u>		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।			

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—हुजूर

पत्र क्र. 1370-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

	(1)	(2)
	20	0.015
	17	0.105
	16	0.004
	15	0.239
	13	0.008
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .		2.154

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजर
- (ग) ग्राम—खाहरिया-127
- (घ) क्षेत्रफल—2.249 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

172	0.020
171	0.067
166	0.097
165	0.056
119	0.023
121	0.157
135	0.111
134	0.170
132	0.010
133	0.281
120	0.050
99	0.128
49	0.052
48	0.147
27	0.001
28	0.018
29	0.054
30	0.092
31	0.025
34	0.020
35	0.031
36	0.002
37	0.003
19	0.168

ब-म. प्र. शासन की भूमि

173	0.018
167	0.046
168	0.003
100	0.028
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.095
अ + ब का कुल योग . .	2.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1372-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजर
- (ग) ग्राम—महिदल-509
- (घ) क्षेत्रफल—5.390 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

199	0.114
200	0.011

(1)	(2)	(1)	(2)
198	0.010	287	0.040
201	0.043	286	0.052
208	0.019	288	0.061
204	0.014	289	0.010
209	0.087	291	0.032
210	0.167	292	0.035
188	0.026	299	0.167
183	0.78	298	0.010
182	0.017	350	0.098
172	0.012	351	0.014
171	0.052	352	0.050
170	0.034	357	0.208
169	0.006	663	0.084
123	0.018	662	0.085
126	0.110	656	0.031
127	0.012	654	0.037
125	0.009	652	0.017
134	0.144	651	0.024
135	0.072	649	0.057
138	0.009	641	0.021
139	0.106	642	0.056
104	0.155	638	0.112
99	0.088	517	0.006
101	0.240	516	0.047
219	0.212	518	0.020
220	0.256	515	0.008
221	0.025	521	0.005
166	0.015	513	0.036
165	0.055	522	0.075
164	0.104	507	0.060
266	0.140	508	0.004
265	0.014	506	0.102
263	0.024	501	0.037
262	0.111	500	0.028
261	0.020	495	0.041
260	0.173	494	0.033
254	0.055	491	0.004
259	0.170	493	0.013
256	0.001	449	0.063
255	0.011	450	0.046
309	0.011	482	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
479	0.081	50	0.084
478	0.065	55	0.007
477	0.059	53	0.026
473	0.054	100	0.055
553	0.018	78	0.018
514	0.041	99	0.017
486	0.001	98	0.024
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.368</u>	110	0.024
ब-म. प्र. शासन की भूमि		111	0.012
152	0.002	273	0.021
499	0.006	114	0.052
660	0.014	158	0.007
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.022</u>	159	0.106
अ + ब का कुल योग . .	<u>5.390</u>	176	0.014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		174	0.015
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		187	0.002
रीवा, दिनांक 18 अगस्त 2017		217	0.061
पत्र क्र. 1374-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		218	0.017
अनुसूची		205	0.020
(1) भूमि का वर्णन—		204	0.024
(क) जिला—सतना		229	0.005
(ख) तहसील—अमरपाटन		232	0.060
(ग) ग्राम—वढ़रखा		233	0.082
(घ) क्षेत्रफल—0.856 हेक्टेयर.		234	0.045
खसरा नं.	अर्जित रकम (हेक्टेयर में)	177	0.004
(1)	(2)	175	0.020
अ-निजी पट्टे की भूमि	0.010	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.832</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

224	0.005
188	0.019
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.024</u>
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.856</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1376-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—मगराज
- (घ) क्षेत्रफल—1.836 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(1)	(2)
399	0.030	69	68	399	0.030
318/2	0.002	67	67	318/2	0.002
402	0.006	66	66	402	0.006
396	0.154	64	64	396	0.154
404/1	0.052	51/1	51/1	404/1	0.052
404/2	0.002	51/2	51/2	404/2	0.002
387	0.040	52	52	387	0.040
389	0.043	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .		389	0.043
390	0.047	1.824		390	0.047
391	0.044	ब-म. प्र. शासन की भूमि		391	0.044
304/2	0.012	41		304/2	0.012
305/2	0.145	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		305/2	0.145
372	0.010	0.012		372	0.010
371	0.120	अ + ब का योग . .		371	0.120
365	0.034	1.836		365	0.034
311/1	0.062			311/1	0.062
311/2	0.024			311/2	0.024
290	0.062			290	0.062
289	0.013			289	0.013
226	0.032			226	0.032
213	0.056			213	0.056
229	0.037			229	0.037
232	0.002			232	0.002
207	0.030			207	0.030
208	0.007			208	0.007

(1)	(2)
205	0.028
204	0.022
203	0.040
196	0.074
194	0.062
195	0.014
191	0.002
190	0.004

76	0.010
75	0.032
78	0.005
77	0.048
79	0.006

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
399	0.030	69	69
318/2	0.002	68	68
402	0.006	67	67
396	0.154	66	66
404/1	0.052	64	64
404/2	0.002	51/1	51/1
387	0.040	51/2	51/2
389	0.043	52	52
390	0.047	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
391	0.044	1.824	
304/2	0.012	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
305/2	0.145	41	
372	0.010	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	
371	0.120	0.012	
365	0.034	अ + ब का योग . .	
311/1	0.062	1.836	
311/2	0.024		
290	0.062		
289	0.013		
226	0.032		
213	0.056		
229	0.037		
232	0.002		
207	0.030		
208	0.007		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 12 एवं 13” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1378-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—सन्नेही सिंगटी
- (घ) क्षेत्रफल—0.768 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
84	0.018
96	0.115
94	0.054
86	0.006
88	0.040
89	0.083
90	0.024
154	0.056
155	0.023
158	0.023
160	0.006
161	0.019
217	0.005
213	0.033
214	0.017
215	0.015
212	0.003
239	0.023
240	0.074
241	0.010
261	0.023
247	0.058
244	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.729</u>
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
248	0.037
238	0.002
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.039</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.768</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 21” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1380-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—बिगौड़ी
- (घ) क्षेत्रफल—4.005 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
148	0.070
149	0.052
144	0.103
142	0.022
151	0.008
161	0.070
160	0.062
162	0.200
163	0.100
158	0.003
153	0.017
165	0.112
169	0.184
170	0.023
171	0.284
173	0.026
181	0.102
180	0.126
182	0.018

(1)	(2)	(1)	(2)
183	0.087	64	0.040
263	0.100	68	0.050
261	0.002	70	0.013
254	0.113	73	0.051
255	0.033	74	0.060
253	0.026	75	0.006
252	0.030	80	0.113
251	0.171	81	0.009
200	0.050	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.867</u>
201	0.003		
245	0.055	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
244	0.072	150	0.017
242	0.003	192	0.100
243	0.046	714	0.021
230	0.050	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.138</u>
436	0.033	अ + ब का योग . .	<u>4.005</u>
435	0.021		
434	0.001		
433	0.064		
432	0.052		
431	0.033		
430	0.009		
428	0.006		
146	0.129		
140	0.073		
139	0.012		
138	0.084		
129	0.045		
128	0.067		
117	0.090		
100	0.008		
111	0.080		
110	0.042		
109	0.002		
108	0.039		
107	0.004		
52	0.054		
56	0.009	खसरा नं.	अजित रकबा
59	0.023		(हेक्टेयर में)
58	0.014	(1)	(2)
60	0.048	अ-निजी पट्टे की भूमि	
66	0.036	80	0.065
65	0.024	78	0.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1382-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—करियापतेर
- (घ) क्षेत्रफल—0.839 हेक्टेयर।

खसरा नं.

अजित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

80

0.065

78

0.009

(1)	(2)
77	0.027
79	0.017
99	0.018
95	0.040
98	0.053
216	0.018
217	0.054
211	0.016
210	0.028
209	0.045
207	0.050
206	0.030
205	0.027
229	0.012
204	0.058
203	0.023
201	0.019
196	0.115
193	0.005
192	0.042
191	0.014
190	0.044
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	0.829
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
90	0.010
म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.010
अ + ब का योग	0.839

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1384-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—सिरैया-545
- (घ) क्षेत्रफल—0.147 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि	0.147
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	0.147

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
अ + ब का योग	0.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1386-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—अमहा-7
- (घ) क्षेत्रफल—4.821 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि	0.060
----------------------	-------

(1)	(2)	(1)	(2)
730	0.011	428	0.035
719	0.076	427	0.080
720	0.197	426	0.007
722	0.010	408	0.062
723	0.210	390	0.024
724	0.076	389	0.074
725	0.010	376	0.041
699	0.129	378	0.042
698	0.088	372	0.080
684	0.119	368	0.055
624	0.110	367	0.014
678	0.060	369	0.028
633	0.113	191	0.060
634	0.013	190	0.042
635	0.046	189	0.002
636	0.043	721	0.006
637	0.010	730	0.003
631	0.124	729	0.067
629	0.012	728	0.005
630	0.137	726	0.009
512	0.037	506	0.009
509	0.078	646	0.017
508	0.107	647	0.163
507	0.147	648	0.003
510	0.003	651	0.152
495	0.166	650	0.010
499	0.036	447	0.340
498	0.022	446	0.014
496	0.018	285	0.053
486	0.026	791/284	0.006
487	0.084	284	0.099
482	0.066	282	0.010
465	0.048	129	0.103
466	0.038	130	0.006
468	0.023	131	0.060
469	0.005	132	0.005
467	0.074	133	0.066
431	0.043	134	0.005
434	0.001	117	0.065
433	0.014	118	0.006

(1)	(2)
115	0.039
119	0.024
114	0.025
9	0.045
13	0.029
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>4.780</u>
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
453	0.011
649	0.030
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.041</u>
अ + ब का योग . .	<u>4.821</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1388-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—मनगवां
 - (ग) ग्राम—अटारी-574-क
 - (घ) क्षेत्रफल—0.196 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
325	0.055
334	0.056
333	0.085
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.196</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.196</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1390-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—करह-37
- (घ) क्षेत्रफल—0.438 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
114	0.019
113	0.060
112	0.084
111	0.013
11	0.003
106	0.015
105	0.021
104	0.004
103	0.020
29	0.015
99	0.001
30	0.052
31	0.013
34	0.075
33	0.014
36	0.007

(1)	(2)	(1)	(2)
38	0.010	152	0.034
39	0.012	127	0.026
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.438</u>	126	0.139
		125	0.020
		124	0.024
		122	0.013
		121	0.026
		120	0.040
		117	0.064
		73	0.065
		75	0.064
		76	0.056
		71	0.005
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.321</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.438</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1392-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासनथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—बरेही-335
- (घ) क्षेत्रफल—1.321 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

346	0.084
343	0.105
286	0.108
281	0.005
233	0.066
228	0.141
234	0.018
239	0.037
238	0.103
153	0.017
151	0.061

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का कुल योग . .	<u>1.321</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1394-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासनथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—दुवहाई-282
- (घ) क्षेत्रफल—3.163 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

68 0.343

(1)	(2)
70	0.013
73	0.130
72	0.015
43	0.080
78	0.286
41	0.001
20	0.291
21	0.217
27	0.132
28	0.001
29	0.190
26	0.017
22	0.055
25	0.103
77	0.029
79	0.141
80	0.104
81	0.118
92	0.107
91	0.060
89	0.118
88	0.010
87	0.007
127	0.083
128	0.004
125	0.014
129	0.094
133	0.006
132	0.002
134	0.034
135	0.009
136	0.051
71	0.268
24	0.022
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.155</u>
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
74	0.008
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.008</u>
अ + ब का कुल योग . .	<u>3.163</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1396-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—मध्येपुर-507
- (घ) क्षेत्रफल—6.150 हेक्टेयर।

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

878	0.174
880	0.088
881	0.031
877	0.720
876	0.008
873	0.196
875	0.015
874	0.124
853	0.171
759	0.196
758	0.108
761	0.091
760	0.022
781	0.093
782	0.020
783	0.014
784	0.035
776	0.108
788	0.014
787	0.225
789	0.076
790	0.220
791	0.014
547	0.099

(1)	(2)	(1)	(2)
545	0.038	421	0.234
546	0.167	419	0.008
540	0.119	358	0.058
536	0.132	364	0.016
537	0.011	365	0.012
535	0.183	844	0.003
534	0.108	415	0.056
847	0.001	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>6.045</u>
848	0.136		ब-म. प्र. शासन की भूमि
845	0.132	729	0.053
843	0.043	561	0.052
842	0.013	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.105</u>
840	0.093	अ + ब का कुल योग . .	<u>6.150</u>
841	0.125		
837	0.084	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
836	0.080	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
835	0.038		
756	0.040	पत्र क्र. 1398-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
757	0.037		
751	0.052		
730	0.070		
731	0.035		
728	0.110		
727	0.054		
726	0.018		
725	0.026		
724	0.063		
721	0.094		
720	0.155		
560	0.051		
463	0.021		
464	0.086		
462	0.034		
461	0.046		
458	0.095		
454	0.029		
453	0.030		
452	0.051		
447	0.026		
446	0.050		
443	0.010		
444	0.002		
416	0.008		

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—नरोरा-309
- (घ) क्षेत्रफल—2.297 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकमा
(हेक्टेयर में)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

157	0.088
158	0.241
167	0.307
166	0.042

(1)	(2)	(ग) ग्राम—रूगंवा
143	0.252	(घ) क्षेत्रफल—1.290 हेक्टेयर.
165	0.002	खसरा नं.
21	0.119	अर्जित रकमा
141	0.068	(हेक्टेयर में)
23	0.001	(1) (2)
24	0.060	अ-निजी पट्टे की भूमि
140	0.270	60 0.039
94	0.071	123 0.138
93	0.086	120 0.111
95	0.103	70 0.032
104	0.076	119 0.033
98	0.077	118 0.042
102	0.062	71 0.158
103	0.078	72 0.015
110	0.089	104 0.027
112	0.137	106 0.002
113	0.007	105 0.051
114	0.017	103 0.338
111	0.024	147 0.010
118	0.020	148 0.005
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.297	98 0.017
		96 0.051
		97 0.135
		86 0.001
		84 0.022
		11 0.001
ब-म. प्र. शासन की भूमि		
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	
अ + ब का कुल योग . .	2.297	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 26” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1400-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोगन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसारी

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

41	0.001
85	0.062
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	1.290

ब-म. प्र. शासन की भूमि
 ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000
 अ + ब का कल योग . . 1.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1402-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाधेलान
- (ग) ग्राम—झूसी वृत्त
- (घ) क्षेत्रफल—0.399 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

188	0.026
193	0.023
189	0.094
192	0.004
191	0.016
190	0.066
197	0.013
195	0.034

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.276

ब-म. प्र. शासन की भूमि

188/199	0.027
194	0.020
198	0.023
196	0.053

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.123

अ + ब का कुल योग . . 0.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1404-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाधेलान
- (ग) ग्राम—जमुनिया 158
- (घ) क्षेत्रफल—0.872 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

54	0.041
55	0.146
52	0.078
51	0.020
50	0.160
86	0.010
87	0.180
45	0.199
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.834

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1	0.038
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.038
अ + ब का कुल योग . .	0.872

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1406-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—समोगर कोठार	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—0.350	134	0.234
खसरा नं.	अर्जित रकबा	135 0.066
	(हेक्टेयर में)	136 0.009
(1)	(2)	18 0.184
अ-निजी पट्टे की भूमि		19 0.216
28 0.214		20 0.073
28/349 0.120		133 0.027
27 0.016		22 0.106
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.350		23 0.045
ब-म. प्र. शासन की भूमि		24 0.040
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000		25 0.136
अ + ब का कुल योग . . 0.350		26 0.009
	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 1.491	
	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000		
अ + ब का कुल योग . . 1.491		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 1408-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—1.491

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
137 0.061	
147 0.119	
151 0.021	
152 0.006	
153 0.132	
154 0.007	

पत्र क्र. 1410-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—करही लामी
- (घ) क्षेत्रफल—0.365

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
158 0.021	
157 0.005	

(1)	(2)	(1)	(2)
151	0.031	683	0.046
152	0.018	545	0.007
153	0.013	546	0.069
139	0.073	547	0.019
138	0.001	550	0.105
137	0.041	551	0.055
128	0.105	556	0.124
136	0.048	555	0.086
111	0.009	564	0.024
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.365</u>	485	0.012
ब-म. प्र. शासन की भूमि		484	0.196
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	487	0.005
अ + ब का कुल योग . .	<u>0.365</u>	482	0.284
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 30” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		481	0.037
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		480	0.016
पत्र क्र. 1412-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		494	0.003
अनुसूची		495	0.091
(1) भूमि का वर्णन—		498	0.010
(क) जिला—सतना		499	0.103
(ख) तहसील—अमरपाटन		500	0.012
(ग) ग्राम—कराँदी		508	0.050
(घ) क्षेत्रफल—1.703		507	0.028
खसरा नं.	अर्जित रकम (हेक्टेयर में)	505	0.001
(1)	(2)	506	0.082
अ-निजी पट्टे की भूमि		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.703</u>
ब-म. प्र. शासन की भूमि			
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>		
अ + ब का कुल योग . .	<u>1.703</u>		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.			
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.			

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. 434-स्था. सैट-2017.—श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया को अस्थायी रूप से, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते। अतः अवधि दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. E-5958-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2017 तक, तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 जुलाई 2017 तक दो, दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5962-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 20 से 22 जुलाई 2017 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5964-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5966-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5968-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्रीमती मीना सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 184 दिवस (एक सौ चौरासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि

और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस/ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्रीमती मीना सिंह, : 19-11-1985 सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया का नियुक्ति दिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2017
3. नियुक्ति दिनांक 19-11-1985 : 01 वर्ष, 03 माह, से दिनांक 09-03-1987 तक 20 दिन। कुल सेवा अवधि।
4. दिनांक 10-03-1987 से : 30 वर्ष, 03 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक 20 दिन। कुल सेवा अवधि।
5. कालम (3) में अंकित : 1×15=15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)।
6. कालम (4) में अंकित : 30=15×15=225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)।
7. कुल अर्जित अवकाश : 240 दिन समर्पण की पात्रता।
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 36 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ।
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 204 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता।

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-5970-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 202 दिवस (दो सौ दो दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस/ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

गणना-पत्रक

1. श्रीमती विभावरी जोशी, : 19-10-1987 सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति दिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2017
3. नियुक्ति दिनांक : लागू नहीं से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि।
4. दिनांक 19-10-1987 से : 29 वर्ष, 08 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक 11 दिन। कुल सेवा अवधि।
5. कालम (3) में अंकित : लागू नहीं अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)।
6. कालम (4) में अंकित : 29=14×15=210 दिन अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)।
7. कुल अर्जित अवकाश : 217 दिन समर्पण की पात्रता।
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 15 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ।
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 202 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता।

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. E-5960-दो-2-73-2015.—श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी.(डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक, चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 11 अगस्त 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. C-3309-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के एवं पश्चात् में दिनांक 12, 13, 14 एवं 15 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक—एफ—3—54 / 2017 / 18—5—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक—1 सन् 2012), की धारा 23—“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक—एफ—3 / 54 / 2017 / 18—5, दिनांक 23 / 06 / 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल वर्गमीटर	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम गादिया	248 / 2 249 / 2	3.892 हेक्टेयर 0.786 हेक्टेयर में से 13260.00 वर्गमीटर	शैक्षणिक (क्षेत्रिय एवं नगर स्तरीय)	आवासीय
		योग—	13260.00 वर्गमीटर		

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव।